वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2007-2008

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम–मिनी रत्न)

Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise–Mini Ratna)

मॉड्यूलर स्टाल, नई दिल्ली
Modular Stall, New Delhi

पैन्ट्री कार, राजेन्द्रनगर (पटना) बिहार, राजधानी
Pantry Car, RJPB Rajdhani

कुल आय
TOTAL INCOME

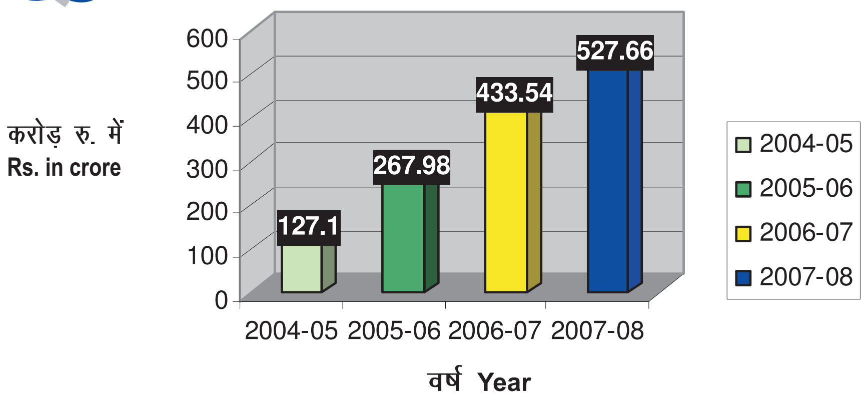

सकल मार्जिन
Gross Margin
(मूल्यह्रास, ब्याज और करों से पूर्व लाभ)
(Profit Before Depreciation, Interest and Taxes)

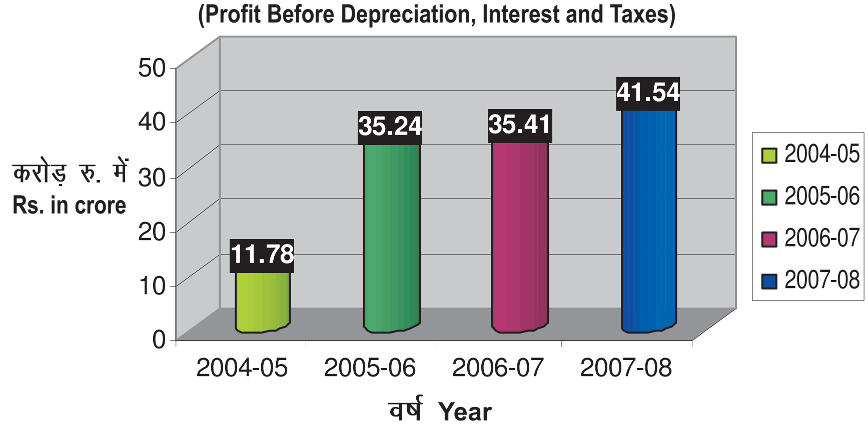

व्यवसायिक खण्डों में कुल आय का वितरण
Distribution of total income across business segments 2007-08

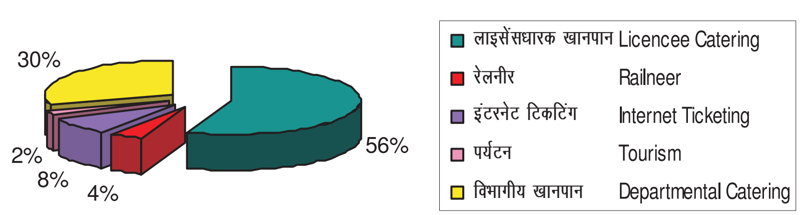

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

निदेशक मण्डल
Board of Directors

श्री वी.एन. माथुर
अध्यक्ष
Shri V.N. Mathur
Chairman

डॉ. नलिन सिंघल
निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)
एवं स्थानापन्न प्रबंध निदेशक
Dr. Nalin Shinghal
Director (Tourism & Marketing) &
Officiating Managing Director

श्री विनोद अस्थाना
निदेशक (खानपान सेवाएं)
Shri Vinod Asthana
Director (Catering Services)

श्री नरेश सलेचा
निदेशक
Shri Naresh Salecha
Director

श्री अशोक कुमार
निदेशक
Shri Ashok Kumar
Director

श्री एस.बी. माथुर
निदेशक
Shri S.B. Mathur
Director

श्री अरविंद शर्मा
निदेशक
Shri Arvind Sharma
Director

श्री जगदीप एस. छोकर
निदेशक
Shri Jagdeep S. Chhokar
Director

आलोक शिवपुरी
निदेशक
Shri Alok Shivapuri
Director

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम – मिनी रत्न)

कॉरपोरेट कार्यालय : 9वीं मंजिल, बैक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग,
16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110 001.
फोन : 011-23311263-64 (ईपीबीएक्स), फैक्स : 011-23311259

वार्षिक रिपोर्ट, 2007–2008

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम – मिनी रत्न)

नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक

दिन	:	बृहस्पतिवार
दिनांक	:	18 सितम्बर, 2008
समय	:	12.00 बजे
स्थान	:	समिति कक्ष (कमरा नं. 238), दूसरा तल, रेल भवन, नई दिल्ली–110001

विषय–सूची

प्रलेख	पृष्ठ सं.
अध्यक्षीय संबोधन	1–4
सूचना	5–6
निदेशकों की रिपोर्ट	7–17
निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट	18
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	19–20
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के संलग्नक	21–23
31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	24
31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा	25
तुलन–पत्र और लाभ व हानि लेखा की संलग्न अनुसूचियाँ	26–33
लेखाकरण संबंधी प्रमुख नीतियाँ	34–41
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	42–52
31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण	53
तुलन–पत्र सार एवं कॉरपोरेशन के सामान्य कारोबार की रूपरेखा	54
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	55–56

निदेशक बोर्ड

श्री वीनू नारायण माथुर
अध्यक्ष,

डॉ. नलिन सिंघल,
निदेशक (पर्यटन व विपणन) एवं
स्थानापन्न प्रबंध निदेशक

श्री विनोद अस्थाना,
निदेशक (खानपान सेवाएं)

श्री नरेश सलेचा

श्री अशोक कुमार

श्री एस.बी.माथुर

श्री अरविन्द शर्मा

श्री जगदीप एस. छोकर

श्री आलोक शिवपुरी

बैंकर्स

1. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
2. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
3. इण्डियन बैंक
4. बैंक ऑफ बड़ौदा
5. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं इसकी सहायक
6. आईडीबीआई बैंक
7. कॉरपोरेशन बैंक
8. सिटी बैंक
9. एक्सिस बैंक लिमिटेड
10. पंजाब नेशनल बैंक
11. अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक
12. ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
13. सिंडीकेट बैंक
14. बैंक ऑफ राजस्थान
15. केनरा बैंक
16. बैंक ऑफ इंडिया
17. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
18. आंध्र बैंक
19. यस बैंक

पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय
9वीं मंजिल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग,
16 संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

कॉरपोरेट कार्यालय का भाग
दूसरी व पांचवीं मंजिल, एसटीसी बिल्डिंग, जवाहर व्यापार भवन, 1, टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली–110001

इंटरनेट टिकटिंग कार्यालय :
नया परिचालन केन्द्र, उत्तर रेलवे आरक्षण कार्यालय, आईआरसीए कॉम्प्लैक्स, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली–110055.

कंपनी सचिव :
श्री राकेश गोगिया

सांविधिक लेखापरीक्षक :
मैसर्स एस.पी.मारवाह एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली

रेलनीर संयंत्र, नांगलोई :
उत्तर रेलवे का वायरलेस स्टेशन एरिया, नांगलोई
बस डिपो के सामने, रोहतक रोड, नांगलोई,
दिल्ली–110041.

रेलनीर संयंत्र, दानापुर :
लोको कॉलोनी, आर.पी.एफ. बैरक्स के दक्षिण में,
खगौल, दानापुर (बिहार)–801105

जोनल कार्यालय

पश्चिमी जोन कार्यालय

दूसरी मंजिल, नई प्रशासनिक बिल्डिंग,
सेन्ट्रल रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल,
मुम्बई–400 001

दक्षिणी जोन कार्यालय
6ए, द रेन ट्री प्लेस, 9 मैक निकोलस रोड, चेटपेट,
चेन्नै–600 034

पूर्वी और पूर्व–मध्य जोन कार्यालय :
पुरानी कोयलाघाट बिल्डिंग,
3, कोयलाघाट स्ट्रीट,
कोलकाता–700 001

उत्तरी जोन कार्यालय :
रेलयात्री निवास,
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन,
नई दिल्ली–110001

दक्षिण–मध्य जोन कार्यालय :
दूसरी मंजिल, एम श्री क्लासिक कॉम्प्लैक्स, सरोजनी
देवी रोड, सिकंदराबाद–500 071

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक

अध्यक्षीय संबोधन

प्रिय शेयरधारको,

कॉरपोरेशन की नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है।

हम यहाँ 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखे, निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करने, उन पर विचार करने तथा उन्हें स्वीकार करने के लिए एकत्र हुए हैं। ये दस्तावेज पहले ही आपको उपलब्ध कराए जा चुके हैं और मैं यह मान लेता हूँ कि आप सबने इन्हें पढ़ लिया है।

वर्ष के दौरान, कॉरपोरेशन 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार 14 राजधानी, 13 शताब्दी, 16 जनशताब्दी और 196 मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों (अस्थायी तौर पर दिए गए रेलगाड़ियों के ठेकों सहित) पर खानपान सेवाओं का प्रबंध संभाल रहा है।

वर्ष के दौरान 14 नए फूड प्लाजा परिचालन में आए, जिसके परिणामस्वरूप चल रहे फूड प्लाजाओं की कुल संख्या 53 हो गई और कॉरपोरेशन द्वारा विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 10 फूड प्लाजाओं के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, खानपान सेवाओं की गुणवत्ता में चौतरफा सुधार सुनिश्चित करने के लिए आईआरसीटीसी ने निम्नलिखित कदम उठाए :–

- ऑन बोर्ड ट्रेन सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, आईआरसीटीसी ने नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै और सिकंदराबाद में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। इन कार्यालयों में फोन, फैक्स और ब्रॉडबैन्ड कनैक्टिविटी के साथ पीसी लगे हैं तथा सप्ताह के सातों दिन रात–दिन कार्यरत रहते हैं। नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय नियंत्रण कार्यालय शिकायतों की प्रभावी मॉनीटरिंग करने के लिए सभी पांचों जोनल कार्यालयों के साथ नियमित रूप से समन्वय रखता है। खानपान संबंधित शिकायतों के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री नम्बर 1800–111139 को चौबीस घंटे कार्य करने हेतु परिचालन किया जा रहा है।
- दो अथवा अधिक वर्षों के फील्ड अनुभव सहित आतिथ्य में डिप्लोमा/डिग्रीधारी 58 गुणवत्ता नियंत्रण व्यावसायिकों को मई, 2007 में भर्ती किया गया और उन्हें जोनल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात किया गया है। ऑन बोर्ड सेवाओं में पूरी तरह सुधार करने के लिए उनको विशेष ट्रेनें आबंटित की गईं।
- मैसर्स टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया, बहुराष्ट्रीय खाद्य लेखापरीक्षा एवं प्रमाणन एजेंसी को खाद्य स्वच्छता एवं संरक्षा लेखापरीक्षा के संबंध में तीसरी पार्टी लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किया गया है।
- एक अग्रणी मार्केट अनुसंधान फर्म मैसर्स आईएमआरबी द्वारा यात्रियों की संतुष्टि की जांच करने के लिए उनको दी गई ऑन बोर्ड सेवाओं के विभिन्न पहलुओं के साथ ग्राहक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

- मैसर्स राइट्स, एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, को बेस किचनों, राजधानी ट्रेनों और आईआरसीटीसी के स्टालों की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में आईएसओ 22000 : 2005 के अनुसार खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस) के प्रमाणन के लिए नियुक्त किया गया है। 41 यूनिटों को आईएसओ प्रमाणन दे दिया गया है।

वर्ष के दौरान कॉरपोरेशन ने निम्नलिखित पर्यटन कारोबार किया :

- आईआरसीटीसी ने जनवरी, 2007 से रेल टुअर पैकेज सीधे परिचालित किए। अप्रैल, 07 से मार्च, 08 तक, 7160 बर्थों की बिक्री की गई है, जबकि पिछले वर्ष 1534 बर्थों की बिक्री की गई थी।
- कॉरपोरेशन ने 9 पूर्ण ट्रेन चार्टर्स सेवाएं परिचालित की, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 124 पूर्ण ट्रेन चार्टर्स सेवाएं परिचालित की गई थीं।
- विभिन्न क्षेत्रों में 64 विशेष चार्टर्स कोचें परिचालित की गईं, जबकि पिछले वर्ष 316 विशेष ट्रेन कोचें परिचालित की गई थीं।
- वर्ष के दौरान 36 विलेज ऑन व्हील्स–भारतदर्शन ट्रेनों का परिचालन किया गया, जबकि पिछले वर्ष 22 ट्रेनें परिचालित की गईं।
- पिछले वर्ष के दौरान हिल रेलवे पर परिचालित 40 चार्टर्स कोचों की तुलना में वर्ष के दौरान 46 चार्टर्ड कोच परिचालित किए गए।

आईआरसीटीसी द्वारा रेलगाड़ियों और कोचों को चार्टर पर लेने के संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित अनुदेशों के कारण रेलगाड़ियों/कोचों के चार्टर व्यवसाय में गिरावट आई।

बौद्ध यात्रा मार्केट का विस्तार करने के लिए, आईआरसीटीसी ने बौद्ध परिपथ के लिए एक विशेष रेलगाड़ी प्रारंभ की। एक परीक्षण यात्रा अप्रैल–मई, 2007 में परिचालित की गई थी और 06 अक्टूबर, 2007 को माननीय रेल मंत्री व माननीय पर्यटन मंत्री द्वारा उद्घाटन यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। इस 7 रातें/8 दिनों के टुअर पैकेज में बौद्ध रुचि के महत्वपूर्ण स्थान जैसे बोधगया, राजगीर, नालन्दा, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, श्रावस्ती शामिल हैं और यात्रियों को आगरा भी ले जाया जाता है।

आईआरसीटीसी द्वारा कोरिया, थाईलैण्ड, सिंगापुर और ताईवान आदि जैसे विभिन्न प्रमुख मार्केटों में ट्रेन को बढ़ावा देने के लिए सघन मार्केटिंग अभियान चलाए गए हैं।

आईआरसीटीसी के पर्यटन पोर्टल **www.railtourismindia.com**, जो एक वर्ष पहले प्रारंभ किया गया था, को 2007–08 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार दिया गया है। यह पोर्टल वन स्टॉप ट्रेवल शॉप के रूप में तेजी से बढ़ रहा है, जोकि ग्राहक की सभी यात्रा व पर्यटन संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करेगा।

2007–08 वर्ष के दौरान, आईआरसीटीसी की वेबसाइट **www.irctc.co.in** के माध्यम से बुक हुई टिकटों (दोनों ई/आई टिकट) की संख्या पिछले वर्ष की 68,23,481 की तुलना में बढ़कर 1,89,09,502 हो गई। बुक की गईं टिकटों का मूल्य पिछले वर्ष के 679 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष के दौरान 1705 करोड़ रु. हो गया। टिकटिंग वेबसाइट ने एक दिन में 1 लाख से अधिक टिकट–बिक्री की ऊंचाई को छुआ और इस वर्ष कई महीनों के दौरान प्रतिमाह 20 लाख टिकटों से अधिक की बिक्री की है।

आईआरसीटीसी ने पूरे देश में रेल यात्रियों को अत्याधुनिक पूछताछ सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एकीकृत ट्रेन पूछताछ प्रणाली–रेल संपर्क 139 प्रारंभ करने के लिए परियोजना शुरू की थी। यह एक अग्रणी पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजना थी, जहां कॉल सेन्टर को कॉस्ट मॉडल से भिन्न राजस्व मॉडल के आधार पर प्रारंभ किया गया था।

इस परियोजना से पूरे देश में रेलयात्रियों के लिए उपलब्ध पूछताछ सेवाओं की गुणवत्ता में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। विभिन्न वैल्यू एडिड व प्रीमियम सेवाओं को प्रारंभ करने के लिए कार्य किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान, रेलनीर पैक किए गए पीने के पानी का उत्पादन पिछले वर्ष की 3,51,12,636 बोतल से बढ़कर 4,06,44,576 बोतल हो गया, जो लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। तीन शिफ्ट कार्यप्रणाली के आधार पर नांगलोई में रेलनीर संयंत्र स्थापित क्षमता के 89 प्रतिशत पर परिचालित हो रहा है और रेलनीर संयंत्र दानापुर स्थापित क्षमता के 83 प्रतिशत पर परिचालित हो रहा है।

मैं, अब कॉरपोरेशन के वित्तीय निष्पादन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ।

वित्तीय कार्यनिष्पादन, 2007–2008

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कॉरपोरेशन ने पिछले वर्ष की 433.54 करोड़ रु. की तुलना में 527.66 करोड़ रु. की कुल आय अर्जित की। लाइसेंसधारक खानपान सेवाओं से आय पिछले वर्ष के 219.18 करोड़ रु. से बढ़कर 289.20 करोड़ रु. हो गई। कॉरपोरेशन ने वर्ष के दौरान विभागीय खानपान कारोबार के कुल कारोबार में 159.40 करोड़ रु. की मामूली वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 156.45 करोड रु. का कुल कारोबार हुआ था, जो मुख्यतः 15.97 करोड़ रु. के बेडरोल और सफाई कारोबार के कारण हुआ, जिसे अब रेलवे को वापस हस्तांतरित कर दिया गया है। पर्यटन गतिविधियों से आय वर्ष के दौरान चार्टर ट्रेनों और चार्टर कोचों के संबंध में रेलवे बोर्ड नीति में परिवर्तन के कारण घटकर 9.72 करोड़ रु. हुई, जबकि पिछले वर्ष के दौरान पर्यटन गतिविधियों से आय 11.36 करोड़ रु. हुई थी। इंटरनेट टिकटिंग से प्राप्त आय में पिछले वर्ष के 23.44 करोड़ रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान 39.18 करोड़ रु. की भारी वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष के दौरान 2.00 करोड़ रु. के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया। पिछले वर्ष के लिए घोषित 4.00 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2007–2008 के लिए कुल 4.15 करोड़ रु. के लाभांश की सिफारिश की गई है। पहले ही भुगतान किए जा चुके अंतरिम लाभांश का समायोजन वर्ष 2007–2008 के लिए संस्तुत कुल लाभांश में से किया गया है।

चालू वर्ष की योजनाएं

- पैन इंडिया इटिनियरीज के साथ लक्जरी टूरिस्ट ट्रेन प्रारंभ करने लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करना।
- पर्यटन एवं खानपान कारोबार के लिए रणनितिक महत्व के गठबंधन।
- पर्यटन पोर्टल पर होटल कंटेंट प्रदान करने के लिए गठबंधन।
- रेल टुअर पैकेज कारोबार का आगे अधिक विकास।

- वर्तमान रेलनीर संयंत्रों की क्षमता का विस्तार।
- देश के पश्चिमी और दक्षिणी भागों के रेल उपयोगकर्त्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिए मुम्बई और चेन्नै के निकट नए रेलनीर संयत्रों की स्थापना करना।
- आईआरसीटीसी ने रेल प्लेटफार्मों पर भीड़ कम करने के लिए वर्तमान पुराने खानपान स्टालों के स्थान पर एकसमान डिजाइन के मॉड्यूलर कॉम्पैक्ट स्टालों को प्रतिस्थापित करने की योजना बनाई है।
- वर्तमान बेस किचनों का आधुनिकीकरण।

निदेशक बोर्ड :

मैं, कॉरपोरेशन के निदेशक बोर्ड की ओर से एवं स्वयं अपनी ओर से निवर्तमान प्रबंध निदेशक डॉ. पी.के.गोयल और निदेशक (वित्त) श्री वी.के जैन के प्रति उनके द्वारा दिए गए अमूल्य मार्गदर्शन एवं सेवाओं के लिए आभार प्रकट करता हूँ। मैं, कॉरपोरेशन के निदेशक बोर्ड में नवनियुक्त निदेशकों श्री जगदीप सिंह छोकर और श्री आलोक शिवपुरी का भी स्वागत करता हूँ।

आभार :

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं शेयरधारकों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने कॉरपोरेशन में विश्वास बनाए रखा। मैं, भारत सरकार, रेल मंत्रालय और क्षेत्रीय रेलों को उनके अमूल्य मार्गदर्शन और सहायता के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

इसके अतिरिक्त, मैं कॉरपोरेशन के समग्र विकास और वृद्धि में कर्मचारियों तथा संबद्ध एजेंसियों के योगदान, प्रतिबद्धता और कर्त्तव्यनिष्ठा के लिए उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा।

साथ ही, मैं यह दोहराना चाहूँगा कि मेरे सहयोगियों की प्रतिबद्धता, कर्तव्यनिष्ठा और कठोर परिश्रम के फलस्वरूप कॉरपोरेशन आने वाले वर्षों में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल होगा।

धन्यवाद,

(वीनू नारायण माथुर)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 सितम्बर, 2008

सूचना

एतद्द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि कॉरपोरेशन के शेयरधारकों की नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक निम्नलिखित अनुसार आयोजित की जाएगी :–

दिन	:	बृहस्पतिवार
दिनांक	:	18 सितम्बर, 2008
समय	:	12.00 बजे
स्थान	:	समिति कक्ष (कमरा नं. 238), दूसरा तल, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली–110001

जिसमें यथा अनुमेय आशोधनों सहित अथवा उनके बिना निम्नलिखित कार्य होंगे :

साधारण कार्य :

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त पाया गया तो इसे साधारण संकल्पों के रूप में पारित करना :

1. 31 मार्च, 2008 को तुलन–पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखा और उस पर निदेशक बोर्ड तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों को प्राप्त करना, विचार करना एवं उन्हें अंगीकार करना।
2. 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

''यह संकल्प किया जाता है कि कॉरपोरेशन का निदेशक बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से सांविधिक लेखापरीक्षकों का वर्ष 2008–09 के लिए देय पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।''

बोर्ड के आदेश से
इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

हस्ता./–
राकेश गोगिया
कंपनी सचिव

तारीख : 14.08.2008
स्थान : नई दिल्ली.

टिप्पणी : बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए पात्र सदस्य स्वयं के बजाय बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए किसी परोक्षी को नियुक्त करने का हकदार है। यह आवश्यक नहीं है कि परोक्षी कंपनी का सदस्य हो।

सेवा में,

1. इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के सभी शेयरधारक।
2. सांविधिक लेखापरीक्षक मैसर्स एस.पी.मारवाह एण्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स।

परोक्षी नियुक्ति फार्म

कंपनी का नाम : **इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड**

मैं ....सुपुत्र .... निवासी ....
उपर्युक्त कंपनी का शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री ....
सुपुत्र श्री .... निवासी ....
को अथवा उसके उपस्थित न हो सकने पर श्री ....
सुपुत्र श्री .... निवासी ....
को अपने परोक्षी के रूप में समिति कक्ष (कमरा नं. 238) दूसरा तल, रेलवे बोर्ड, रेल भवन, रायसीना मार्ग, नई दिल्ली–110001, में 18 सितम्बर, 2008 को 12.00 बजे होने वाली कॉरपोरेशन की नौवीं सामान्य बैठक में अपनी ओर से मत देने के लिए नियुक्त करता हूँ।

एक रुपए की रसीदी
टिकट लगाएं

(हस्ताक्षर)

दिनांक...................................2008 को हस्ताक्षर किए।

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयरधारको,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कॉरपोरेशन के परीक्षित लेखाओं के साथ नौवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय निष्पादन :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कॉरपोरेशन ने कुल 527.66 करोड़ रु. की आय अर्जित की, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 433.54 करोड़ रु. की आय अर्जित की गई थी। लाइसेंसधारक केटरिंग सेवाओं से प्राप्त आय पिछले वर्ष के 219.18 करोड़ रु. से बढ़कर 289.20 करोड़ रु. हो गई। कॉरपोरेशन ने वर्ष के दौरान विभागीय खानपान कारोबार के कुल कारोबार में 159.40 करोड़ रु. की मामूली वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 156.45 करोड़ रु. का कुल कारोबार हुआ था, जो मुख्यतः 15.97 करोड़ रु. के बेडरोल और सफाई कारोबार के कारण हुआ, जिसे अब रेलवे को वापस हस्तांतरित कर दिया गया है। पर्यटन गतिविधियों से आय वर्ष के दौरान चार्टर ट्रेनों और चार्टर कोचों के संबंध में रेलवे बोर्ड नीति में परिवर्तन के कारण घटकर 9.72 करोड़ रु. रह गई, जबकि पिछले वर्ष के दौरान पर्यटन गतिविधियों से आय 11.36 करोड़ रु. हुई थी। पिछले वर्ष के दौरान इंटरनेट टिकटिंग की 23.44 करोड़ रु. की आय की तुलना में इस वर्ष 39.18 करोड़ रु. की पर्याप्त आय दर्ज हुई।

वर्ष के दौरान, रेलनीर संयंत्रों से बिक्री (उत्पाद शुल्क छोड़कर) मुख्यतः रेलनीर संयंत्र, दानापुर में उत्पादन में वृद्धि होने के कारण, पिछले वर्ष के दौरान 8.03 करोड़ रु. से बढ़कर 11.00 करोड़ रु. हो गई। ब्याज दरों में सुधार होने के कारण, ब्याज की आय पिछले वर्ष के दौरान 5.25 करोड़ रु. से काफी बढ़कर वर्ष के दौरान 10.60 करोड़ रु. हुई है। अन्य आय मुख्यतः एवीएम आदि के लाइसेंस देने पर वैंडिंग से आय में गिरावट के कारण पिछले वर्ष के दौरान 9.84 करोड़ रु. से मामूली रूप से घटकर वर्ष के दौरान 8.55 करोड़ रु. रह गई।

पिछले वर्ष के दौरान 20.23 करोड़ रु. के शुद्ध लाभ की तुलना में वर्ष के दौरान 20.75 करोड़ रु. का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया। रेल मंत्रालय द्वारा कर्षण लागत (हॉलेज कास्ट) लगाने के कारण वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ में वृद्धि नहीं हो सकी। रेलवे बोर्ड ने दिनांक 8/15 मई, 2008 के पत्र सं. 2005/टीजी–III/675/14 के अनुसार वर्ष 2007–08 के लिए छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बकाया, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता के विलयन तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की दूसरी वेतन संशोधन समिति रिपोर्ट के लिए प्रावधान किया। कर्षण प्रभारों के रूप में 30.00 करोड़ रु. प्रदान किए गए हैं और 24.15 करोड़ रु. वेतन संशोधन के बकाया के लिए व्यवस्था की गई। 31 मार्च, 2008 को कॉरपोरेशन की आरक्षित निधि और अधिशेष 58.85 करोड़ रु. रहा। कॉरपोरेशन की शुद्ध मालियत पिछले वर्ष की 62.96 करोड़ रु. से बढ़कर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 78.85 करोड़ रु. हो गई।

कॉरपोरेशन द्वारा अर्जित लाभ को निम्नलिखित रूप से विनियोजित किया गया है :

(करोड़ रु. में)

विवरण/समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
कर–पूर्व लाभ	33.26	30.00
कर के लिए प्रावधान	11.00	10.60
फ्रिन्ज लाभकर के लिए प्रावधान	00.50	00.16
पिछले वर्ष के लिए प्रदत्त आयकर	0	0
पूर्व अवधि का व्यय/आय (निवल)	00.29	(00.48)
आस्थगित कर	00.72	(00.51)
करोपरांत लाभ	20.75	20.23
अग्रानीत लाभ	9.04	5.40
पूर्व वर्षों के लिए कर समायोजन		
पिछले वर्ष के लिए आस्थगित कर	शून्य	शून्य
आरक्षित निधि में अंतरण	16.00	12.00
लाभांश (लाभांश कर सहित)	4.86	4.59
तुलन–पत्र के लिए अग्रानीत लाभ	**8.93**	**9.04**

2. रेलवे के राजस्व में अंशदान

वर्ष के दौरान कॉरपोरेशन ने भारतीय रेलवे के राजस्व में पिछले वर्ष की 54.24 करोड़ रु. की राशि की तुलना में 62.76 करोड़ रु. की राशि का अंशदान किया। रेलवे के राजस्व में किए गए अंशदान में वर्ष 2007–2008 के लिए कर्षण प्रभार, कंसेशन फीस, लाइसेंस फीस, उपयोगकर्त्ता प्रभार और लाभांश शामिल होते हैं। वर्ष के दौरान, विभिन्न क्षेत्रीय रेलों से राजस्व की हिस्सेदारी **17 जनवरी, 2007** के समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार की गई है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, वर्ष के दौरान धन वापसी के बाद शुद्ध 1411.70 करोड़ रु. की टिकटें बुक की गई, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 545.55 करोड़ रु. की टिकटें बुक की गई थी। बुक की गईं टिकटों में इंटरनेट के माध्यम से टिकटों की बुकिंग और आईआरसीटीसी तथा ट्रेन/कोच चार्टरों द्वारा परिचालित विभिन्न टुअर पैकेजों के लिए टिकटों की बुकिंग शामिल है।

3. कारोबार का निष्पादन :

लाइसेंसधारकों के माध्यम से भारतीय रेलवे में केटरिंग गतिविधियां :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कॉरपोरेशन ने भारतीय रेलवे की ट्रेनों में ऑन बोर्ड केटरिंग सेवाओं के लिए 11 ठेके दिए। वर्ष के दौरान, कॉरपोरेशन 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार 14 राजधानी, 13 शताब्दी, 16 जनशताब्दी और 196 मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों (अस्थायी तौर पर ठेके पर दी गईं रेलगाड़ियों सहित) पर इन सेवाओं का प्रबंध संभाल रहा है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, ट्रेन साइड वेंडिंग के 42 ठेके परिचालन में थे।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कॉरपोरेशन ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर गर्म और ठंडे पेय पदार्थों की बिक्री हेतु स्वचालित वेंडिंग मशीनों के किओस्क्स के लिए 816 ठेके दिए।

फूड प्लाजा :

वर्ष के दौरान, 14 नए फूड प्लाजाओं के परिचालन में आने से परिचालित फूड प्लाजाओं की कुल संख्या 53 हो गई और कॉरपोरेशन द्वारा विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 10 फूड प्लाजाओं के लिए लाइसेंस दिए गए।

आईआरसीटीसी द्वारा आउटडोर केटरिंग (गैर–रेलवे केटरिंग): रेलवे संगठनों और उच्च प्रोफाइल के केन्द्रीय सरकारी संगठनों जैसे विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि से किसी विशेष अवसर के लिए अथवा कम अवधि/लम्बी अवधि के आधार पर आईआरसीटीसी द्वारा संभाले जाने वाले स्पेशल केफेटेरियाओं के परिचालन, कैन्टीनों और आतिथ्य कार्यों के माध्यम से विशेष खानपान व्यवस्थाओं के प्रावधान के लिए अनेक मांगे प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में आईआरसीटीसी द्वारा पहल की गई है और विदेश मंत्रालय में कैन्टीन का प्रबंध आईआरसीटीसी द्वारा संभाला जा रहा है। आईआरसीटीसी को कई अन्य प्रमुख संस्थानों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

इसके अतिरिक्त, आईआरसीटीसी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को अत्याधुनिक किचन उपकरणों और गेजेट्स के साथ उनके वर्तमान कैफेटेरिया के विकास के लिए व्यावसायिक कंसल्टेन्सी प्रदान की है। आईआरसीटीसी ने संघ लोक सेवा आयोग के उत्पादन एवं सेवा कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया है ताकि के बेहतर सेवा कर सकें। आईआरसीटीसी स्टेशनों पर फूड कोर्टस भी विकसित कर रहा है। आईआरसीटीसी समकालीन आंतरिक डिजाइन प्रौद्योगिकी जैसे लेन–देन के लिए स्मार्ट कार्ड प्रयोग करने के साथ मल्टी क्विजीन फूड कोर्ट विकसित करने की प्रक्रिया में है। ये फूड कोर्ट सभी बड़े राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ब्राण्डों के सहयोग से परिचालित किए जाएंगे। मुम्बई–सेन्ट्रल और चारबाग लखनऊ में दो ऐसे स्थल विकसित किए जा रहे हैं।

रेल आधारित पर्यटन :

वर्ष के दौरान, कॉरपोरेशन ने निम्नलिखित कार्य किए :

- आईआरसीटीसी ने जनवरी, 2007 से रेल टुअर पैकेज सीधे परिचालित किए। अप्रैल, 07 से मार्च, 08 तक 7160 बर्थों की बिक्री की गई, जबकि पिछले वर्ष 1534 बर्थों की बिक्री की गई थी।
- कॉरपोरेशन ने 9 पूर्ण ट्रेन चार्टर्स सेवाएं परिचालित कीं, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 124 पूर्ण ट्रेन चार्टर्स सेवाएं परिचालित की गई थीं।
- विभिन्न क्षेत्रों में 64 विशेष चार्टर्स कोचें परिचालित की गईं, जबकि पिछले वर्ष 316 विशेष ट्रेन कोचें परिचालित की गई थीं।
- वर्ष के दौरान 36 विलेज ऑन व्हील्स–भारतदर्शन ट्रेनों का परिचालन किया गया, जबकि पिछले वर्ष 22 ट्रेनें परिचालित की गई थीं।
- पिछले वर्ष के दौरान हिल रेलवे पर परिचालित 40 चार्टर्स कोचों की तुलना में वर्ष के दौरान 46 चार्टर्ड कोच परिचालित किए गए।

आईआरसीटीसी द्वारा ट्रेनों और कोचों को किराए पर लेने के संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित अनुदेशों के कारण रेलगाड़ियों/कोचों के चार्टर व्यवसाय में गिरावट आई।

भारत में रेल टुअर पैकेजों को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग योजना बनाई गई है। इसमें विभिन्न स्टेशनों पर आईआरसीटीसी स्टालों में डैन्गलर्स का प्रदर्शन, एफएम रेडियो पर विज्ञापन, केबल टीवी पर स्क्रोलर्स, नई दिल्ली, कोलकाता में मेट्रो स्टेशनों पर पोस्टरों का प्रदर्शन, कॉरपोरेट से सीधे मार्केटिंग के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन शामिल हैं। धार्मिक गन्तव्यों के लिए टुअर पैकेजों को धार्मिक टीवी चैनलों, जैसे आस्था आदि पर बढ़ावा देने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

बौद्ध परिपथ के लिए एक विशेष रेलगाड़ी महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस

बौद्ध यात्रा मार्केट का विस्तार करने के लिए, आईआरसीटीसी ने बौद्ध परिपथ के लिए एक विशेष रेलगाड़ी प्रारंभ की। एक परीक्षण यात्रा अप्रैल–मई, 2007 में परिचालित की गई थी और 06 अक्टूबर, 2007 को माननीय रेल मंत्री व माननीय पर्यटन मंत्री द्वारा उदघाटन यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। इस 7 रातें/8 दिनों के टुअर पैकेज में बौद्ध रुचि के महत्वपूर्ण स्थान जैसे बोधगया, राजगीर, नालन्दा, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, श्रावस्ती शामिल है और यात्रियों को आगरा भी ले जाया जाता है।

आईआरसीटीसी ने कोरिया, थाईलैन्ड, सिंगापुर और ताईवान आदि जैसे विभिन्न प्रमुख मार्केट में ट्रेन को बढ़ावा देने के लिए सघन मार्केटिंग अभियान चलाए हैं।

थाइलैण्ड, सिंगापुर, कोरिया, जापान, भारत आदि से प्रमुख मीडिया तथा ट्रेवल एजेन्टों के लिए प्रचलित ट्रिप आयोजित किए थे। अग्रणी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों जैसे स्ट्रेट्स टाइम्स सिंगापुर, चोसन ईलबो एवं चोसन बुआ कोरिया, द नेशन, बैंकाक पोस्ट व लुक ईस्ट–थाईलैण्ड, जेटविंग्स, आउटलुक ट्रेवलर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया आदि में महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस को **व्यापक सकारात्मक मीडिया कवरेज** प्राप्त हुआ है। दिल्ली, टोकियो, मुम्बई, बैंकाक में विभिन्न स्वदेशी व अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनों में पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से इसे भी बढ़ावा प्राप्त हुआ। थाईलैण्ड, सिंगापुर, वियतनाम में इन देशों में प्रमुख टुअर आपरेटरों के लिए सेल्स विजिट के साथ रोड शो आयोजित किए गए।

प्रोत्साहनात्मक प्रयासों से पता चलता है कि यह पर्यटक ट्रेन विभिन्न प्रमुख मार्केटों में प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही है। **थाईलैण्ड, कोरिया, भारत, सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया, यूएसए, कनाडा, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोस्टा–राइसा, म्यांमार एवं नीदरलैंड** जैसे विभिन्न देशों के लोगों ने अब तक ट्रेन में यात्रा की है। जिन यात्रियों ने इस ट्रेन पर यात्रा की है, उनसे उत्कृष्ट फीड बैक प्राप्त हुआ है।

पर्यटन पोर्टल

आईआरसीटीसी के पर्यटन पोर्टल **www.railtourismindia.com**, जो एक वर्ष पहले प्रारंभ किया गया था, को 2007–08 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार दिया गया है। यह पोर्टल वन स्टॉप ट्रेवल शॉप के रूप में तेजी से बढ़ रहा है, जोकि ग्राहकों की सभी यात्रा व पर्यटन संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करेगा।

बजट होटल

रेलवे स्टेशनों पर आईआरसीटीसी की बजट होटल परियोजनाओं को रेलवे बोर्ड द्वारा अंशतः स्वीकृत कर लिया गया है। निविदाओं को अंतिम रूप देने और करारों पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया पुनः शुरू हो गई है। आईआरसीटीसी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थित रेलयात्री निवास का नवीनीकरण सफलतापूर्वक किया है, जो अब ताज होटल के जिंजर ब्राण्ड के अंतर्गत परिचालित है। हावड़ा में रेल यात्री निवास और रांची एवं पुरी में बीएनआर होटलों का पुनर्विकास भी प्रारंभ कर दिया गया है।

आईआरसीटीसी ने भुवनेश्वर में एक बजट होटल स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार से भूमि प्राप्त कर ली है और उसके लिए करार पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने हैं। अन्य स्थानों में बजट होटलों के प्रयोजन के लिए सरकारी भूमि प्राप्त करने की संभावना तलाश की जा रही है तथा उसके लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों से संपर्क किया जा रहा है।

इंटरनेट टिकटिंग प्रणाली :

वर्ष 2007-08 के दौरान, आईआरसीटीसी की वेबसाइट **www.irctc.co.in** के माध्यम से बुक की गई टिकटों (ई और आई दोनों टिकटों) की संख्या पिछले वर्ष के दौरान बुक की गई 68,23,481 की तुलना में 1,89,09,502 तक हो गई है। बुक की गई टिकटों का मूल्य पिछले वर्ष के दौरान 678.64 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष के दौरान 1705.03 करोड़ रु. तक हो गया है। एक दिन में एक लाख से अधिक टिकटों की ऊंचाई को छुआ है और इस वर्ष कई महीनों के दौरान प्रतिमाह 20 लाख से अधिक टिकटों की बिक्री हुई। एक दिन में आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से बेची गई औसत टिकट भी मार्च, 08 के दौरान 78,000 से अधिक है।

स्कीम ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स (सोफ्ट) के अंतर्गत आईआरसीटीसी और एसबीआई द्वारा 31 मार्च, 2008 को लगभग 52,491 ग्राहकों की कुल संख्या रजिस्टर्ड की गई थी।

31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार लगभग 22,000 एजेंट ई–टिकटिंग सुविधा के लिए नामांकित किए गए और मार्च, 2008 के दौरान इन एजेंटों द्वारा औसत 18,048 टिकट प्रति दिन बुक किए गए थे।

इस वैबसाइट के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए, पिछले वर्ष निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए हैं :—

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से, **''नेशनल अवार्ड फॉर ई—गवर्नेंस, 2007—08''** पुरस्कार।

नवम्बर, 2007 में भारतीय कम्प्यूटर सोसाइटी द्वारा **''बेस्ट ई—गवर्न्ड प्रोजेक्ट जी 2 सी —अर्बन एण्ड रूरल''** पुरस्कार।

सीएनबीसी द्वारा **''जीनियस ऑफ द् वेब अवार्ड, 2007 फॉर बेस्ट ई—गवर्नमेंट पीएसयू साइट''** पुरस्कार।

एकीकृत ट्रेन पूछताछ सिस्टम (139—रेल संपर्क कॉल सेन्टर) :

आईआरसीटीसी ने पूरे देश में रेल यात्रियों के लिए अत्याधुनिक पूछताछ सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एकीकृत ट्रेन पूछताछ सिस्टम—रेल संपर्क 139 प्रारंभ करने की परियोजना शुरू की। यह एक अग्रणी पब्लिक प्राइवेट भागीदारी की परियोजना थी, जहां कॉल सेन्टर को कॉस्ट मॉडल से भिन्न राजस्व मॉडल के आधार पर शुरू किया गया था।

आईआरसीटीसी को कार्य सौंपे जाने के 10 महीने के अंदर नॉर्थ जोन में सेवाएं 17 जुलाई, 2007 को प्रारंभ की गई थी। देश में कहीं से किसी भी फोन से उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं सहित वित्त वर्ष 2007—08 में अखिल भारतीय रोल आउट पूरा कर लिया गया है।

इस परियोजना से पूरे देश में रेल यात्रियों के लिए उपलब्ध पूछताछ सेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक परिवर्तन हुआ है। विभिन्न वैल्यू एडिड एवं प्रीमियम सेवाओं को भी प्रारंभ करने के लिए कार्य जारी है।

पैक किया गया पीने का पानी (रेलनीर)

पैक किए गए पीने के पानी रेलनीर के दो संयंत्र नांगलोई (दिल्ली) और दानापुर (बिहार) में कार्य कर रहे हैं। वर्ष के दौरान, पैक किए गए पीने के पानी रेलनीर का उत्पादन पिछले वर्ष के दौरान 3,51,12,636 बोतलों से बढ़कर वर्ष के दौरान 4,06,44,576 बोतल हो गया, जोकि लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। तीन शिफ्ट कार्यप्रणाली के आधार पर, नांगलोई में रेलनीर संयंत्र स्थापित क्षमता के 89% और रेलनीर संयंत्र दानापुर 83% पर कार्य कर रहे हैं।

वर्ष के दौरान, रेलनीर का वितरण संसद भवन, रेलवे बोर्ड और विदेश मंत्रालय आदि के अतिरिक्त नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आसाम आदि में विभिन्न रेलवे स्टेशनों में और नई दिल्ली और कोलकाता से प्रारंभ होने वाली विभिन्न ट्रेनों में शुरू कर दिया है।

रेलनीर पैक किए गए पीने के पानी के संबंध में विख्यात प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए परीक्षणों के परिणामों से पता चला है कि रेलनीर की क्वालिटी कीटनाशक अवशेषों के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) के प्रतिमानकों के अनुरूप है, जोकि वास्तव में अनूठी उपलब्धि है।

4. गुणवत्ता नियंत्रण एवं शिकायत निवारण प्रणाली

- ऑन बोर्ड ट्रेन सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, आईआरसीटीसी ने नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै और सिकंदराबाद में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। इन कार्यालयों में फोन, फैक्स और ब्राडबैन्ड कनैक्टिविटी के साथ पीसी लगे हैं तथा सप्ताह के सातों दिन रात—दिन कार्यरत रहते हैं। नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय नियंत्रण कार्यालय शिकायतों की प्रभावी मॉनीटरिंग करने के लिए सभी पांचों जोनल कार्यालयों के साथ नियमित रूप से समन्वय रखता है। खानपान संबंधित शिकायतों के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री नम्बर 1800—111139 को चौबीस घंटे कार्य करने हेतु परिचालन किया जा रहा है।

- दो अथवा अधिक वर्षों के फील्ड अनुभव सहित आतिथ्य में डिप्लोमा/डिग्रीधारी 58 गुणवत्ता नियंत्रण व्यावसायिकों को मई, 2007 में भर्ती किया गया और उन्हें जोनल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात किया गया है। ऑन बोर्ड सेवाओं में पूरी तरह सुधार करने के लिए उनको विशेष ट्रेनें आबंटित की गईं।
- मैसर्स टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया, बहुराष्ट्रीय खाद्य लेखापरीक्षा एवं प्रमाणन एजेंसी को खाद्य स्वच्छता एवं संरक्षा लेखापरीक्षा के संबंध में तीसरी पार्टी लेखापरीक्षा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। कुल 282 यूनिटों पर खाद्य की ऑडिट की गई, जिसमें 255 रेलगाड़ियाँ, 11 फूड प्लाजा और 16 बेस किचनें शामिल हैं। रिपोर्टों में खाद्य स्वच्छता में सुधार करने के लिए एक सप्ताह, तीन–चार सप्ताह और आठ सप्ताह की कार्यान्वयन अवधि वाली क्रमशः कम अवधि, मध्यम अवधि व लम्बी अवधि की सिफारिशें की गई हैं।
- एक अग्रणी मार्केट अनुसंधान फर्म मैसर्स आईएमआरबी द्वारा यात्रियों की संतुष्टि की जांच करने के लिए उनको दी जा रही ऑन बोर्ड सेवाएं के विभिन्न पहलुओं के साथ व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

  सर्वेक्षण के पहले और दूसरे दौर में, उन्होंने क्रमशः 142 व 115 रेलगाड़ियों में सर्वेक्षण पूरा किया है। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और यह पाया गया है कि 145 रेलगड़ियाँ 60 प्रतिशत से अधिक की समग्र श्रेणी में हैं और शेष 112 रेलगाड़ियाँ 60 प्रतिशत से कम श्रेणी में हैं। समग्र श्रेणी में सुधार लाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं।
- मैसर्स राइट्स, एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, को बेस किचनों, राजधानी ट्रेनों और आईआरसीटीसी के स्टालों की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में आईएसओ 22000 : 2005 के अनुसार खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस) के प्रमाणन के लिए नियुक्त किया गया है। मार्च, 2008 के अंतिम सप्ताह में नई दिल्ली, मुम्बई सेन्ट्रल और हावड़ा में स्थित बेस किचनों में प्रमाणन एजेंसी द्वारा अंतिम ऑडिट किया गया है। सभी तीन बेस किचनें इन्फ्रास्ट्रक्चर व प्रक्रियाओं सहित आईएसओ 22000 : 2005 विशिष्टियों के अनुसार पाई गईं। प्रमाणन एजेंसी द्वारा आईएसओ प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उनकी विधिवत सिफारिश की है।

  लाइसेंसधारकों को भी अपनी केटरिंग यूनिटों के आईएसओ प्रमाणन के संबंध में समय–समय पर सूचित किया गया, 26 केटरिंग यूनिटों को पहले ही आईएसओ प्रमाणन के अंतर्गत शामिल कर किया गया है। विभागीय तथा लाइसेंसधारक स्वामित्व में शामिल होने वाले सभी कुल 41 यूनिटों को आईएसओ 9001 : 2000 अथवा आईएसओ 22000 : 2005 के अंतर्गत शामिल किया गया है।

5. भविष्य की योजनाएं

- पैन इंडिया इटिनियरीज के साथ लक्जरी टूरिस्ट ट्रेन प्रारंभ करना।
- पर्यटन एवं खानपान कारोबार के लिए रणनितिक महत्व के गठबंधन.
- पर्यटन पोर्टल पर होटल कंटेंट प्रदान करने के लिए गठबंधन।
- रेल टुअर पैकेज कारोबार का आगे अधिक विकास।
- अचल केटरिंग यूनिटों के लिए, आईआरसीटीसी ने जनशक्ति नियोजन, प्रापण प्रक्रिया और सेवाओं के मानकीकरण हेतु केन्द्रीभूत निवेशों की योजना बनाई है।
- वर्तमान रेलनीर संयंत्रों की क्षमता का विस्तार।
- देश के पश्चिमी और दक्षिणी भागों के रेल उपयोगकर्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिए मुम्बई और चेन्नै के निकट नए रेलनीर संयंत्रों की स्थापना करना।
- आईआरसीटीसी ने रेल प्लेटफार्मों पर भीड़ कम करने के लिए वर्तमान पुराने खानपान स्टालों के स्थान पर एकसमान डिजाइन के मॉड्यूलर कॉम्पैक्ट स्टालों को प्रतिस्थापित करने की योजना बनाई है।

- वर्तमान बेस किचनों का आधुनिकीकरण।
- मिनी बेस किचनों की स्थापना करना।
- पैन्ट्रीकारों का आधुनिकीकरण।

6. मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण संबंधी पहल :

वर्ष के दौरान, कॉरपोरेशन ने स्टाफ के प्रशिक्षण पर 18.11 लाख रुपए खर्च किए, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 14.63 लाख रुपए खर्च हुए थे। कॉरपोरेशन ने स्टाफ के लिए प्रसिद्ध फूड क्राफ्ट प्रशिक्षण क्षेत्रीय और सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

कॉरपोरेशन ने सभी श्रेणियों के स्टाफ अर्थात् अधिकारियों, गुणवत्ता नियंत्रण व्यावसायिकों, निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों, बावर्चियों, बेयरों आदि के लिए कौशल उन्नयन और व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ बहुत बडी संख्या में केटरिंग स्टाफ को हुआ है। इसके अतिरिक्त, विभागीय बावर्चियों के कौशल उन्नयन हेतु सर्वोत्तम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खाद्य संस्थानों में विशिष्ट प्रशिक्षण दिया गया।

7. लाभांश :

वित्तीय परिणामों को ध्यान में रखते हुए, निदेशक बोर्ड ने 2.00 करोड़ रु. के अंतरिम लाभांश की सिफारिश की। निदेशक बोर्ड ने अब 2007–2008 के लिए अंतरिम लाभांश (लगभग, शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत) सहित 4.15 करोड़ रु. के कुल लाभांश की सिफारिश की है। 2.00 करोड़ रु. के अंतरिम लाभांश को अंतिम लाभांश में समायोजित कर दिया गया है।

8. पूंजीगत ढांचा :

31 मार्च, 2008 को कॉरपोरेशन की प्रदत्त शेयर पूंजी 20.00 करोड़ रुपए थी। भारत सरकार कॉरपोरेशन की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी अपने पास रखती है। वर्ष के दौरान, प्रदत्त शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

9. औद्योगिक संबंध :

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे।

10. राष्ट्रपति के निर्देश/सरकारी निर्देश :

वित्तीय वर्ष 2007–2008 के दौरान राष्ट्रपति के कोई निर्देश सरकार से प्राप्त नहीं हुए थे।

11. सतर्कता :

कॉरपोरेशन में एक पूर्ण सतर्कता विभाग है, जिसकी अध्यक्षा संयुक्त सचिव स्तर की मुख्य सतर्कता अधिकारी श्रीमती सुन्दरी सुब्रमनियम पुजारी हैं।

12. राजभाषा :

कॉरपोरेशन ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाए किए हैं। दिन–प्रतिदिन के कार्य में हिंदी के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए कॉरपोरेशन ने राजभाषा समिति गठित की है।

कॉरपोरेशन राजभाषा अधिनियम के दिशा–निर्देशों का पालन कर रहा है। वार्षिक रिपोर्ट साथ–साथ हिंदी में प्रकाशित की जाती है। कंपनी सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी। हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने वाले अधिकारी और कर्मचारी दिन–प्रतिदिन के कार्य में हिंदी का प्रयोग करते हैं।

वर्ष के दौरान, संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति ने 30 जनवरी, 2008 को आईआरसीटीसी के पश्चिम जोन, मुम्बई का निरीक्षण किया है।

13. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय और व्यय आदि का विवरणः

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय और व्यय के संबंध में कंपनी (निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियम, 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ङ) के उपबंधों के अनुसार ब्योरा अनुलग्नक–I पर दिया गया है।

14. कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के उपबंधों के अंतर्गत यथा अपेक्षित, कोई भी कर्मचारी उसमें निर्धारित सीमा से अधिक वेतन और भत्ते प्राप्त नहीं कर रहा था।

15. निदेशकों के उत्तरदायित्व के कथन :

निदेशकों के उत्तरदायित्व के कथन के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसरण में एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि :

(i) 31 मार्च, 2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय लेखाकरण के लागू मानकों का अनुसरण किया गया है।

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उनको लगातार लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए तथा अनुमान तैयार किए हैं जो उचित और विवेक सम्मत थे ताकि उनसे वित्तीय वर्ष के अंत में कॉरपोरेशन कार्यों की स्थिति का तथा समीक्षाधीन अवधि के लिए कॉरपोरेशन के लाभ व हानि का वास्तविक और सही चित्र प्रस्तुत हो सके।

(iii) निदेशकों ने कॉरपोरेशन की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण के समुचित रिकार्ड रखने के संबंध में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

(iv) निदेशकों ने 31 मार्च, 2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा 'चालू कंपनी' के आधार पर तैयार किए हैं।

16. निगमित शासन और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना।

कॉरपोरेशन ने कॉरपोरेट शासन की संकल्पना को अपनाया है और उसके सिद्धांतों पर बल दिया है। अच्छे कॉरपोरेट शासन पद्धतियों के भाग के रूप में, कॉरपोरेशन ऐसी संकल्पनाओं के कार्यान्वयन करने के लिए कदम उठा रहा है। इसने निदेशक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति पहले ही गठित/पुनर्गठित कर ली है।

कॉरपोरेशन ने भारत सरकार, रेल मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें वर्ष 2007–08 के लिए वास्तविक व वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

17. लेखापरीक्षक :

वर्ष 2007–2008 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कॉरपोरेशन के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स एस.पी.मारवाह एण्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउन्टेंट, नई दिल्ली को नियुक्त किया गया था।

18. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट की भाग बनेंगी।

19. निदेशक बोर्ड :

इस समय, कॉरपोरेशन के बोर्ड में एक अंशकालिक अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, तीन कार्यकारी निदेशक और दो सरकार द्वारा मनोनीत सरकारी निदेशक और चार अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक हैं।

बोर्ड ने कार्य करने के लिए वर्ष के दौरान 4 (चार) बैठकें की और निम्नलिखित निदेशक रिपोर्ट की तारीख तक पद पर बने रहे :

श्री वीनू नारायण माथुर, अध्यक्ष
श्री नलिन सिंघल, स्थानापन्न प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (पर्यटन व विपणन),
श्री विनोद अस्थाना, निदेशक (खानपान सेवाएं)
श्री नरेश सलेचा,
श्री अशोक कुमार,
श्री एस.बी.माथुर,
श्री अरविन्द शर्मा,
श्री जगदीप एस.छोकर
श्री आलोक शिवपुरी

डॉ. पी.के.गोयल, प्रबंध निदेशक ने, उनके निदेशक, आईआरआईटीएम, लखनऊ के रूप में नियुक्त होने के परिणामस्वरूप, 13 जनवरी, 2008 को कॉरपोरेशन की सेवाएं छोड़ दी।

श्री वी.के.जैन, निदेशक (वित्त) ने 3 दिसम्बर, 2007 को कॉरपोरेशन के सेवाएं छोड़ दी।

बोर्ड ने निवर्तमान प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) द्वारा दी गई सेवाओं और मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया।

20. लेखापरीक्षा समिति :

कॉरपोरेशन द्वारा निदेशक बोर्ड की एक लेखापरीक्षा समिति पहले ही गठित की गई। निदेशक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने वर्ष के दौरान कार्य करने के लिए दो (2) बार बैठक की और लेखापरीक्षा समिति के निम्नलिखित सदस्य रिपोर्ट की तारीख तक पद पर बने रहे :–

श्री एस.बी.माथुर
श्री अरविन्द शर्मा
श्री विनोद अस्थाना, निदेशक (खानपान सेवाएं)
श्री जगदीप एस.छोकर
श्री आलोक शिवपुरी

श्री एस.बी.माथुर, को लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है।

21. आभार एवं सराहना :

निदेशक बोर्ड वर्षभर मार्गदर्शन और लगातार सहायता के लिए रेल मंत्रालय को धन्यवाद देता है। निदेशक बोर्ड सम्माननीय ग्राहकों और लाइसेंसधारकों के प्रति आभार प्रकट करता है। इनके अतिरिक्त निदेशक बोर्ड कॉरपोरेशन के समग्र विकास और उन्नति में कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता, लगन और निष्ठा के लिए उनकी प्रशंसा करता है।

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–

स्थान : नई दिल्ली **(वीनू नारायण माथुर)**
दिनांक : 14 अगस्त, 2008 **अध्यक्ष**

अनुबंध– ।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध

फार्म–क

ऊर्जा संरक्षण के संबंध में विवरण का प्रकटन

क. विद्युत और ईंधन खपत :

विवरण	2007–08	2006–07
1. बिजली		
क) खरीदी गई :		
यूनिटें ('000 केडब्ल्यूएच)	2019.50	1385
कुल राशि (लाख रु.)	106.18	65.96
दर/यूनिट (रु.)	5.26	4.76
ख) निजी उत्पादन :		
डीजल जनरेटर के माध्यम से–		
यूनिट ('000 केडब्ल्यूएच)	324	693
डीजल तेल की प्रति लीटर यूनिट	3.39	3.39
लागत/यूनिट (रु.)	9.45	10.27
2. कोयला	शून्य	शून्य
3. फर्नेस ऑयल	शून्य	शून्य
4. नेचुरल गैस	शून्य	शून्य

ख. उत्पादन की प्रति यूनिट खपत :

विवरण	बिजली (केडब्ल्यूएच)/ प्रति बोतल)		फर्नेस ऑयल		नेचुरल गैस		कोयला	
	07–08	06–07	07–08	06–07	07–08	06–07	07–08	06–07
रेलनीर–पैक किया गया पीने का पानी	0.05	0.06	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

फार्म–ख

तकनीकी समावेशन के संबंध में विवरण का प्रकटीकरण

अनुसंधान और विकास

1. **विशिष्ट क्षेत्र जिसमें अनुसंधान और विकास कंपनी द्वारा किया जाता है :**
   लागू नहीं
2. **उपर्युक्त अनुसंधान और विकास के परिणामस्वरूप लाभ प्राप्त किया :**
   लागू नहीं
3. **भविष्य की कार्य योजना :**
   लागू नहीं
4. **वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास पर व्यय निम्नलिखितानुसार है :**

(लाख रु. में)

क्रम सं.	विवरण	2007–2008	2006–2007
क.	पूंजी	लागू नहीं	लागू नहीं
ख.	आवर्ती	लागू नहीं	लागू नहीं
	जोड़	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल कारोबार की प्रतिशतता (%) के रूप में कुल अनुसंधान और विकास खर्च	लागू नहीं	लागू नहीं

5. **प्रौद्योगिकी का समावेशन, अनुकूलन और परिवर्तन :**

आयातित प्रौद्योगिकी :

प्रौद्योगिकी	आयात का वर्ष	समावेशन की स्थिति
	लागू नहीं	

6. **विदेशी मुद्रा का अर्जन और व्यय :**

(लाख रु. में)

विवरण	2007–08	2006–07
विदेशी मुद्रा का अर्जन	45.00	शून्य
विदेशी मुद्र का व्यय		
विदेशी यात्रा व्यय	11.82	8.06

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
(वीनू नारायण माथुर)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 अगस्त, 2008

निदेशकों की रिपोर्ट, 2007–2008 का परिशिष्ट

वित्त वर्ष 2007–2008 के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में टिप्पणियों/कमी के संबंध में उत्तर

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की मद सं.	लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधकवर्ग का उत्तर
4 (iv)	पूर्व के वर्षों के दौरान, कॉरपोरेशन द्वारा अधिकार में ली गई विभागीय केटरिंग यूनिटों पर स्थित औजार व संयंत्र, रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों को 'जैसी स्थिति में है और जहां है' के आधार पर अधिकार में लिया गया। ऐसी संपत्तियों के मूल्य की सूचना न मिलने के कारण, ऐसी परिसंपत्तियों पर वास्तविक नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु ऐसी प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए 1/–रु. के नाममात्र के मूल्य पर कॉरपोरेशन के खाता बहियों में प्रविष्टि की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान किन्ही नई परिसंपत्तियों को रेलवे से अपने अधिकार में नहीं लिया गया था। इसलिए परिसपंत्तियों तथा मूल्यह्रास को उस सीमा तक कम करके बताया गया है।	रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसरण में कॉरपोरेशन ने सम्पूर्ण विभागीय केटरिंग कारोबार को, जिनमें कुछ स्थानों को छोड़कर, भारतीय रेलवे के रेलयात्री निवास और होटल शामिल हैं, अपने अधिकार में लिया। ऐसी केटरिंग यूनिटों में स्थित औजार व संयंत्र को 'जैसी स्थिति में है और जहां है' के आधार पर लिया गया है। चूंकि ये औजार व संयंत्र अधिकार में लेने की तारीख से पूर्व दशकों से इस्तेमाल में थे, अतः कॉरपोरेशन की देयता, यदि कोई हो, निकालने के लिए ऐसी परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। सूचना उपलब्ध न होने के कारण इन औजारों व संयंत्रों का लेखा–जोखा ऐसी परिसंपत्तियों पर वास्तविक नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु ऐसी प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए 1/–रु. के नाममात्र के मूल्य पर कॉरपोरेशन की केटरिंग यूनिटों, रेलयात्री निवासों और रेलवे होटलों के बही खातों में दिया गया है। ऐसे औजारों और संयंत्रों पर कोई मूल्यह्रास नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बहुत सी वे मदें, जोकि कॉरपोरेशन को हस्तान्तरित की गई हैं, अच्छी स्थिति में नहीं है और उनको संबंधित क्षेत्रीय रेलों को वापिस किए जाने का आवश्यकता है। ऐसे औजारों व संयंत्रों का वर्तमान मूल्य सुनिश्चित होने पर, आवश्यक प्रविष्टियाँ/समायोजन कॉरपोरेशन के बही खातों में किए जाएंगे।

एस.पी.मारवाह एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स
प्रधान कार्यालय : 8–ए/4 पश्चिमी विस्तार क्षेत्र, करोलबाग,
नई दिल्ली–110005 फोन : 25746813, 9313702220
ई–मेलः mljotwani@gmail.com, mljotwani@hotmail.com

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सदस्य,
इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड.

1. हमने इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2008 के संलग्न तुलन–पत्र और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें कॉरपोरेट आफिस, इंटरनेट टिकटिंग कार्यालय और मुम्बई, नई दिल्ली, चेन्नै, सिकंदराबाद व कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों, और नांगलोई (दिल्ली) और दानापुर (बिहार) स्थित रेलनीर संयंत्रों के लेखा शामिल किए गए हैं, जिनकी हमने लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधतंत्र का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में राय अभिव्यक्त करना है।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और उसका निष्पादन इस प्रकार करें कि उससे इस बारे में उचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यपरक गलत बयानी नहीं है। लेखापरीक्षा में नमूना परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों और राशियों से संबंधित साक्ष्यों की जाँच की जाती है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाए गए लेखाकरण सिद्धांतों और लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण करना और साथ ही वित्तीय विवरणों के समग्र रूप से प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप–धारा (4क) के अनुसार हम भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथा अपेक्षित, अनुलग्नक में उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में यथालागू एक विवरण संलग्न करते हैं।

4. उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित अनुलग्नक में दी गयी अपनी टिप्पणियों के अतिरिक्त और लेखा (अनुसूची XXVI) पर टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 13 के साथ पठित नीचे पैरा (iv) के अनुसार, हम यह स्पष्ट करते हैं कि :–

   (i) हमने वे सभी जानकारियाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं।

   (ii) हमारी राय में, जहां तक खाता बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी ने विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित खाता बहियाँ रखी हैं।

(iii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र और लाभ व हानि लेखे और कैश फ्लो खाता बहियों से मेल खाते हैं।

(iv) *पूर्व के वर्षों के दौरान कॉरपोरेशन द्वारा अधिकार में ली गई विभागीय केटरिंग यूनिटों, रेल यात्री निवास और रेलवे होटलों में स्थित औजारों व संयंत्रों को 'जैसी स्थिति में है और जहां है' के आधार पर ग्रहण किया गया था। इस प्रकार की परिसंपत्तियों के मूल्य की सूचना न प्राप्त होने के कारण, कॉरपोरेशन के बही खातों में प्रविष्टि ऐसी परिसंपत्तियों पर वास्तविक नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु ऐसी प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए 1/–रु. के नाममात्र के मूल्य पर की गई है और न ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान, इसके अतिरिक्त किन्हीं नई परिसंपत्तियों को रेलों से अपने अधिकार में नहीं लिया गया है। इसलिए परिसंपत्तियों के साथ–साथ मूल्यह्रास को उस सीमा तक कम दिखाया गया है।*

(v) रेलवे के पास शेष पुष्टि के अध्यधीन है।

(vi) कंपनी ने सूचित किया है कि कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 21.10.2003 की अधिसूचना सं. जीएसआर 829 (ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (i) (छ) के प्रावधान सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं है।

(vii) हमारी राय में इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र और लाभ व हानि लेखा और कैश फ्लो विवरण में कंपनी अधिनियम, 1956 को धारा 211 की उप–धारा (3ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

(viii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त तुलन–पत्र, लाभ व हानि लेखा और कैश फ्लो विवरण, साथ में पठित उन पर दी गई टिप्पणियाँ यथा अपेक्षित रूप में कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण के सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित मामलों में वास्तविक और सही चित्र प्रस्तुत करते हैं:

(क) 31 मार्च, 2008 को कंपनी के कार्यकलापों की दी गई स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र के मामले में,

(ख) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का, लाभ व हानि लेखा के मामले में, और

(ग) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के कैश फ्लो का, कैश फ्लो विवरण के मामले में।

कृते एस.पी.मारवाह एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट

हस्ता./–
(एम.एल.जोतवानी)
पार्टनर
सदस्यता सं. : 9604

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 अगस्त, 2008

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट अनुबंध

1. (क) कंपनी ने मात्रात्मक (क्वान्टिटेटिव) ब्यौरा और अचल परिसंपत्तियों के स्थान सहित पूरा विवरण दर्शाने वाला समुचित रिकार्ड रखा है।

   (ख) कंपनी के आकार और अचल परिसंपत्तियों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा वर्ष में एक बार वास्तविक सत्यापन की यह एक प्रणाली है। प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से सत्यापित परिसंपत्तियों के संबंध में कोईं महत्वपूर्ण विसंगातियाँ नहीं पाई गई हैं।

   (ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अचल संपत्तियों के किसी महत्वपूर्ण भाग का निपटान नहीं किया है।

2. (क) प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान वस्तुसूचियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में सत्यापन की बारंबारता उचित है।

   (ख) प्रबंधन द्वारा अपनाई गई वस्तुसूचियों के वास्तविक सत्यापन की प्रक्रिया कंपनी के आकार और कारोबार के स्वरूप के संबंध में पर्याप्त है।

   (ग) कंपनी वस्तुसूची का उचित रिकार्ड रख रही है। वास्तविक स्टाक और बही खाते के बीच सत्यापन पर पाई गई विसंगतियाँ महत्वपूर्ण नहीं थी और बही खातों में सही तरीके से लिखी गई हैं।

3. (क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन बनाए गए रजिस्टर में शामिल पार्टियों से वर्ष के दौरान कोई ऋण ग्रहण नहीं किया है।

   (ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन बनाए गए रजिस्टर में शामिल पार्टियों को वर्ष के दौरान कोई ऋण मंजूर नहीं किया है।

4. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, घटक, पैकिंग सामग्रियों, संयंत्र और मशीनरी, उपस्कर और अन्य परिसंपत्तियों सहित भण्डार, कच्चे माल की खरीद और सामान की बिक्री तथा सेवाओं के संबंध में कंपनी के आकार के अनुरूप और इसके कारोबार के स्वरूप आंतरिक नियंत्रण कार्यविधियाँ पर्याप्त हैं। आंतरिक नियंत्रण कार्यविधियों में कोई बड़ी कमी नहीं पाई गई है।

5. हमें बताए गए अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किए जाने के लिए अपेक्षित, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत आने वाली पार्टियों से 5,00,000/–रु. या अधिक का कोई लेन–देन नहीं था।

6. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क और 58कक के उपबंधों अथवा किसी अन्य संबंधित उपबंध और उसके अंतर्गत बताए गए नियमों के अधीन नियंत्रित पब्लिक डिपॉजिट स्वीकार नहीं किया है।

7. हमारी राय में कंपनी में आकार और उसके कारोबार के स्वरूप के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रणाली विद्यमान है। उन नियुक्त कर्मचारियों अर्थात् जो रेलों, बाह्य स्रोत से हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, और जो वाणिज्य लेखा में अच्छी तरह से कुशल नहीं हैं, की प्रकृति को बदलने की दृष्टि से आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को पुनः तैयार किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कई यूनिटें ऐसे दूर के क्षेत्रों में स्थित

हैं, जहां आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है, इस प्रकार त्रुटियों/छल–कपट की संभावना अधिक रहती है। हमारी राय में, आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष कार्य क्षेत्र के संबंध में उचित दिशा–निर्देशों के साथ विभिन्न जोनल कार्यालयों में स्थित हों और बड़े राजस्व क्षेत्रों का कार्य प्रारंभ करने के लिए शामिल किया जाए। इससे त्रुटियों आदि होने की संभावना कम हो सकती है।

8. हमारी राय और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत सरकार ने लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति निर्धारित नहीं की है।

9. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अविवादित सांविधिक राशि उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जिसमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, उत्पाद कर, उपकर, सेवा कर और अन्य लागू सांविधिक राशि शामिल हैं, जमा करने में नियमित है और 31 मार्च, 2008 को सांविधिक देयता की कोई अविवादित राशि, उसके देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक की अवधि तक बकाया नहीं थी, सिवाय निम्नलिखत के :

   (i) कॉरपोरेशन के संबंध में वर्ष 2004–2005 के लिए 30.69 लाख रु. के आय कर की मांग की गई। कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246क (1)(क) के अंतर्गत एक अपील निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध दायर की है।

   (ii) निर्धारण वर्ष 2005–2006 के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के कारण 11.01 लाख रु. की रकम को गलती से अस्वीकृत किया गया है। तदनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 (1) (क) के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की गई है।

   (iii) 2.06 लाख रु. के बिक्रीकर का वर्ष 2004–2005 के लिए एक मांग नोटिस पश्चिम बंगाल बिक्रीकर प्रधिकारियों से प्राप्त हुआ था, जिसमें से 0.88 लाख रु. का भुगतान कर दिया गया है और 1.17 लाख रु. की शेष रकम के लिए एक अपील फाइल की गई है।

   (iv) बिक्री/वैट विभाग, दिल्ली द्वारा अप्रैल, 07 से अक्तूबर, 07 की अवधि के लिए कर, ब्याज और जुर्माना के कारण 1175.63 लाख रु. की रकम की मांग की गई है।

   आईआरसीटीसी ने कानूनी सलाह प्राप्त की है और सलाह दी गई है कि रेलगाड़ियों में खानपान सेवाएं प्रदान करना एक आउटडोर केटरर जैसी सेवाएं होती हैं और सेवाकर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। सेवाएं सामान की बिक्री नहीं मानी जाती हैं और इसलिए उक्त सेवाओं पर कोई बिक्रीकर/वैट नहीं लगाया जा सकता। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आईआरसीटीसी ने राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में दी गई खानपान सेवाओं पर दिल्ली वेल्यू एडिड टैक्स एक्ट, 2004 के अधीन बिक्रीकर प्राधिकरण द्वारा उस वैट की उगाही को चुनौती दी है, जिसपर सेवाकर को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में 28 जुलाई, 2008 को याचिका के द्वारा पहले ही भुगतान कर दिया है।

10. कंपनी ने चालू वर्ष में और तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में नकद राशि की हानि नहीं उठाई है तथा 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र में संचित नकदी की कोई हानि नहीं हुई है।

11. कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक अथवा डिबेंचर धारकों से कोई ऋण नहीं लिया है, इसलिए व्यक्तिक्रम (default) का प्रश्न नहीं उठता।

12. कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण तथा अग्रिम स्वीकार नहीं किया है।

13. चूंकि कंपनी चिट फंड, निधि, परस्पर लाभ निधि अथवा सोसाइटी नहीं है, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट आदेश, 2003) के खंड 4(xiii) का उपबंध कंपनी के लिए लागू नहीं है।

14. चूंकि कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों में लेन–देन अथवा व्यवसाय नहीं कर रही है, कंपनी (लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट आदेश, 2003) खंड 4(xiv) का उपबंध कंपनी के लिए लागू नहीं है।

15. कंपनी ने अपने व्यावसायिकों और सहायकों की ओर से गारंटियाँ नहीं दी हैं।

16. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई आवधिक ऋण नहीं लिया है।

17. दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लम्बी अवधि के इस्तेमाल के लिए कोई कम अवधि का ऋण नहीं लिया है।

18. कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमानी आबंटन नहीं किया है।

19. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

20. कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू के जरिए कोई धन राशि प्राप्त नहीं की है।

21. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कॉरपोरेशन की वेबसाइट के जरिए पार्टियों द्वारा बुक किए गए रेलवे टिकटों के कारण वर्ष के दौरान कॉरपोरेशन पर धोखाधड़ी के कई मामलों का पता चला है। ऐसे मामलों में सम्बद्ध धनराशि 12.57 लाख रु. (पिछले वर्ष 18.09 लाख रु.) थी, जिसको वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा के अंतर्गत कॉरपोरेशन के खातों में अशोध्य ऋण और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के रूप में दिया गया है। चूककर्त्ताओं के विरुद्ध कॉरपोरेशन द्वारा आपराधिक मामले शुरू किए गए हैं। वर्ष के दौरान धोखाधड़ी के कोई अन्य मामले नोटिस में नहीं आए हैं।

कृते एस.पी.मारवाह एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट

हस्ता. /–
(एम.एल.जोतवानी)
पार्टनर
सदस्यता सं. : 9604

स्थान : नई दिल्ली
तारीख: 20 अगस्त, 2008

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

	अनुसूची	31 मार्च, 2008 को राशि (रु.)	31 मार्च, 2008 को राशि (रु.)	31 मार्च, 2007 को राशि (रु.)	31 मार्च, 2007 को राशि (रु.)
निधियों के स्रोत					
शेयरधारकों की निधियाँ					
शेयर पूंजी	I		200,000,000.00		200,000,000.00
आरक्षित निधि और अधिशेष	II		588,492,816.88		429,554,387.45
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)			25,896,566.00		18,635,819.00
(अनुसूची XXVI में टिप्पणी 18 देखें)					
जोड़			**814,389,382.88**		**648,190,206.45**
निधियों का उपयोग					
अचल परिसम्पितित्तयाँ	III				
सकल ब्लाक		613,796,588.93		416,143,127.81	
घटाएँ : मूल्यह्रास		243,802,427.82		160,986,523.53	
शुद्ध ब्लाक		369,994,161.11		255,156,604.28	
जोड़ें : पूंजीगत चालू कार्य		9,058,394.00	379,052,555.11	16,267,479.00	271,424,083.28
निवेश	IV		20,000.00		20,000.00
चालू परिसम्पित्तियाँ, ऋण और अग्रिम					
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज	V	9,645.00		7,411.00	
वस्तुसूचियाँ	VI	57,319,249.84		59,716,818.00	
फुटकर देनदारियाँ	VII	1,920,669,509.43		1,215,900,641.07	
नकद तथा बैंक शेष	VIII	1,167,732,442.53		1,229,694,150.37	
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	IX	65,152,293.44		6,341,660.17	
ऋण व अग्रिम	X	855,419,587.17		779,215,570.58	
		4,066,302,727.41		3,290,876,251.19	
घटाएँ : चालू देयताएँ एवं प्रावधान	XI				
चालू देयताएँ		3,238,968,639.64		2,654,054,005.02	
प्रावधान		392,017,260.00		260,076,123.00	
		3,630,985,899.64		2,914,130,128.02	
शुद्ध चालू परिसम्पित्तियाँ			435,316,827.77		376,746,123.17
बट्टे खाते न डाले गए अथवा समायोजित न की गई सीमा तक विविध व्यय	XII	-		-	
जोड़			**814,389,382.88**		**648,190,206.45**
प्रमुख लेखाकरण संबंधी नीतियाँ और लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	XXVI				

I से XXVI तक अनुसूचियाँ लेखाओं का अभिन्न भाग हैं

इसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.पी. मारवाह एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

(ह./–)	(ह./–)	(ह./–)	(ह./–)	(ह./–)
एम.एल. जोतवानी	**नलिन सिंघल**	**विनोद अस्थाना**	**एम.पी. मल्ल**	**राकेश गोगिया**
पार्टनर	**प्रबंध निदेशक**	**निदेशक (खा.से.)**	**स.महा.प्र. (वित्त)**	**कंपनी सचिव**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 अगस्त, 2008

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
लाभ व हानि लेखा 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार

	अनुसूची	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए राशि (रु.)	31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए राशि (रु.)
आय			
बिक्री	XIII	1,703,985,145.11	1,644,736,686.08
इंटरनेट टिकटिंग एवं कॉल सेन्टर से प्राप्त आय	XIV	391,831,871.00	234,422,443.00
लाइसेंसी खानपान सेवाओं से प्राप्त आय	XV	2,892,029,638.98	2,191,752,466.43
पर्यटन से आय	XVI	97,237,936.25	113,647,577.00
सावधि जमा और स्रोत पर कर कटौती (सकल) पर ब्याज से आय (स्रोत पर कर की कटौती 159,14,077/–(पिछले वर्ष 116,43,299/–रु.)		106,047,843.92	52,469,302.70
अन्य आय	XVII	85,506,089.99	98,364,593.41
क		**5,276,638,525.25**	**4,335,393,068.62**
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री	XVIII	981,775,554.97	1,015,687,889.58
तैयार माल में (वृद्धि)/कमी	XIX	3,900,175.11	2,329,221.38
लाइसेंसधारक खानपान सेवाओं का व्यय	XX	1,995,725,161.25	1,573,449,091.04
पर्यटन का व्यय	XXI	91,694,508.50	107,572,126.00
विनिर्माण एवं प्रत्यक्ष व्यय	XXII	268,738,710.61	181,457,140.01
मानव संसाधन लागत	XXIII	1,151,336,100.73	772,914,284.45
प्रशासनिक, बिक्री एवं वितरण व्यय	XXIV	368,031,193.36	327,800,035.74
बट्टे खाते डाले गए विविध व्यय	XII	-	939,880.00
मूल्यह्रास	III	82,815,904.29	53,243,400.42
ख		**4,944,017,308.82**	**4,035,393,068.62**
वर्ष में लाभ (क - ख)		**332,621,216.43**	**300,000,000.00**
घटाएं :			
शुद्ध पूर्व अवधि समायोजन	XXV	2,869,115.00	(4,829,630.26)
आयकर के लिए प्रावधान		110,000,000.00	106,000,000.00
सीमांत (फ्रिन्ज) लाभ कर के लिए प्रावधान		5,000,000.00	1,600,000.00
आस्थगित कर (अनुसूची XXVI में टिप्पणी 18 देखें)		7,260,747.00	(5,035,485.00)
कर पश्चात वर्ष में लाभ		**207,491,354.43**	**202,265,115.26**
अग्रानीत लाभ		90,384,149.45	54,026,034.19
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		**297,875,503.88**	**256,291,149.45**
विनियोजन			
लाभांश – अंतरिम		20,000,000.00	30,000,000.00
– अंतिम		21,500,000.00	10,000,000.00
लाभांश पर कर		7,052,925.00	5,907,000.00
सामान्य आरक्षित निधि के अंतरण		160,000,000.00	120,000,000.00
आरक्षित निधि और अधिशेष के लिए लाभ (तुलन–पत्र)		**89,322,578.88**	**90,384,149.45**
प्रतिशेयर आय (10/– रू. प्रतिशेयर का अंकित मूल्य)			
मूल (रु. में)		**10.37**	**10.11**
तनुकृत (रु. में)		**10.37**	**10.11**
प्रमुख लेखाकरण संबंधी नीतियाँ और लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ	XXVI		

I से XXVI तक अनुसूचितयाँ लेखा का अभिन्न भाग हैं।

इसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.पी. मारवाह एण्ड कम्पनी **निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से**
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स

(ह./–)	(ह./–)	(ह./–)	(ह./–)	(ह./–)
एम.एल. जोतवानी	**नलिन सिंघल**	**विनोद अस्थाना**	**एम.पी. मल्ल**	**राकेश गोगिया**
पार्टनर	**प्रबंध निदेशक**	**निदेशक (खा.से.)**	**स.महा.प्र. (वित्त)**	**कंपनी सचिव**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 अगस्त, 2008

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
तुलन–पत्र के साथ संलग्न अनुसूचियाँ, जो उसका भाग हैं।

	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए राशि (रु.)	31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए राशि (रु.)
अनुसूची— I		
शेयर पूंजी		
अधिकृत पूंजी		
10 - 10 रुपये मूल्य के 5,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10 - 10 रुपये मूल्य के 5,00,00,000 इक्विटी शेयर)	500,000,000.00	500,000,000.00
जारी अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी		
10 - 10 रुपये मूल्य के पूर्णतः प्रदत्त 20,000,000 इक्विटी शेयर	200,000,000.00	200,000,000.00
(पिछले वर्ष 10 - 10 रुपये मूल्य के पूर्णतः प्रदत्त 20,000,000 इक्विटी शेयर)	**200,000,000.00**	**200,000,000.00**
अनुसूची— II		
आरक्षित निधि एवं अधिशेष		
क. सामान्य आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	339,170,238.00	219,170,238.00
जोड़ें : लाभ एवं हानि लेखा से अंतरित	160,000,000.00	120,000,000.00
	499,170,238.00	**339,170,238.00**
ख. लाभ एवं हानि खाता		
प्रारंभिक शेष	90,384,149.45	54,026,034.19
जोड़ें : लाभ एवं हानि लेखा से अंतरित	(1,061,570.57)	36,358,115.26
	89,322,578.88	**90,384,149.45**
आरक्षित निधि एवं अधिशेष (क + ख)	**588,492,816.88**	**429,554,387.45**

अनुसूची— III

(i) अचल परिसंपत्तियाँ

राशि रुपए में

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2007 को मूल लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कमी / बिक्री	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार लागत	1 अप्रैल, 2007 के लिए	2007—2008 वर्ष में	कमियों / बिक्री पर मूल्यह्रास	31 मार्च, 2008 तक	31 मार्च, 2008 को	31 मार्च, 2007 को
पट्टे पर भूमि*	6,128,293.00	–	–	6,128,293.00	–	–	–	–	6,128,293.00	6,128,293.00
पट्टे पर—कार्यालय विकास	11,619,676.52	37,711,619.35	-	49,331,295.87	2,977,479.70	2,912,721.00	-	5,890,200.70	43,441,095.17	8,642,196.82
भवन—फैक्ट्री—पट्टे पर	32,116,468.20	-	-	32,116,468.20	3,670,884.00	1,072,691.00	-	4,743,575.00	27,372,893.20	28,445,584.20
भवन-कार्यालय - पट्टे पर	6,977,463.53	-	-	6,977,463.53	391,493.00	113,732.00	-	505,225.00	6,472,238.53	6,585,970.53
संयंत्र एवं मशीनरी	93,278,053.53	-	-	93,278,053.53	24,848,378.30	9,032,496.79	-	33,880,875.09	59,397,178.44	68,429,675.23
औजार एवं संयंत्र	-	190,203.00	-	190,203.00	-	-	-	-	190,203.00	-
कम्प्यूटर	186,048,047.63	122,991,348.00	-	309,039,395.63	104,747,010.08	54,450,262.00	-	159,197,272.08	149,842,123.55	81,301,037.55
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	38,430,704.10	8,043,604.74	-	46,474,308.84	13,716,417.62	5,610,493.47	-	19,326,911.09	27,147,397.75	24,714,286.48
कार्यालय उपकरण	31,107,957.00	20,256,970.03	-	51,364,927.03	8,574,047.00	7,603,363.03	-	16,177,410.03	35,187,517.00	22,533,910.00
वातानुकूलक	10,436,464.30	8,459,716.00	-	18,896,180.30	2,060,813.83	2,020,145.00	-	4,080,958.83	14,815,221.47	8,375,650.47
जोड़ (i)	**416,143,127.81**	**197,653,461.12**	**-**	**613,796,588.93**	**160,986,523.53**	**82,815,904.29**	**-**	**243,802,427.82**	**369,994,161.11**	**255,156,604.28**
पिछले वर्ष	**310,147,652.12**	**106,857,865.28**	**862,389.59**	**416,143,127.81**	**108,243,980.04**	**53,243,400.42**	**500,856.93**	**160,986,523.53**	**255,156,604.28**	**201,903,672.08**

(ii) पूंजीगत चालू कार्य

विवरण	31 मार्च, 2008 को	31 मार्च, 2007 को
बजट होटल परियोजना	2,576,566.00	2,565,526.00
इंटरनेट टिकटिंग कार्यालय	3,350,000.00	8,253,465.00
रेलनीर संयंत्र—नांगलोई	218,669.00	218,669.00
रेलनीर संयंत्र—चैन्ने	2,913,159.00	-
चैन्ने कार्यालय	-	5,229,819.00
जोड़ (ii)	**9,058,394.00**	**16,267,479.00**
पिछले वर्ष	**16,267,479.00**	**6,746,335.52**
अचल परिसंपत्तियों का जोड़ (i) + (ii)	**379,052,555.11**	**271,424,083.28**

टिप्पणी : *आईआरसीटीसी ने 99 वर्ष की अवधि के लिए भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के निकट बजट होटल स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार से पट्टे पर भूमि प्राप्त की है।

तुलन–पत्र के साथ संलग्न अनुसूचियां, जो उसका भाग हैं

		31 मार्च, 2008 को राशि (रु.)		31 मार्च, 2007 को राशि (रु.)
अनुसूची— IV				
निवेश				
लम्बी अवधि के निवेश				
- नॉन ट्रेड, एट कॉस्ट				
राष्ट्रीय बचत पत्र–VIII वाँ इश्यू 6 वर्षीय		20,000.00		20,000.00
(प्रतिभूति के रूप में बिक्री कर कार्यालय के पास गिरवी रखा गया)		**20,000.00**		**20,000.00**
चालू परिसम्पत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम				
अनुसूची— V				
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज				
ब्याज प्रोद्भूत परन्तु राष्ट्रीय बचत पत्रों पर प्राप्य नहीं		9,645.00		7,411.00
		9,645.00		**7,411.00**
अनुसूची— VI				
वस्तुसूचियाँ				
(प्रबंधन द्वारा लिए गए, मूल्यांकन और प्रमाणित किए गए के रूप में)				
कच्चा माल		16,993,148.57		15,490,541.62
तैयार माल		21,722,451.00		21,908,533.15
ट्रेडिंग माल–पीडी मदें		18,603,650.27		22,317,743.23
		57,319,249.84		**59,716,818.00**
अनुसूची - VII				
फुटकर देनदार				
(प्रबंधन द्वारा वसूली के लिए शोध्य माना गया अप्रतिभूत)				
- छः महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण				
शोध्य माना गया	1,003,983,311.91		647,932,547.67	
संदिग्ध माना गया	790,266.00		797,831.00	
(क)	1,004,773,577.91		648,730,378.67	
- अन्य ऋण				
शोध्य माना गया	916,686,197.52		567,968,093.40	
संदिग्ध माना गया	-		-	
(ख)	916,686,197.52		567,968,093.40	
जोड़ (क+ख)	1,921,459,775.43		1,216,698,472.07	
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	790,266.00	1,920,669,509.43	797,831.00	1,215,900,641.07
		1,920,669,509.43		**1,215,900,641.07**
अनुसूची - VIII				
नकद एवं बैंक शेष				
(i) हस्तगत रोकड़		12,468,021.41		21,869,699.35
(ii) पारगमन में प्रेषण		3,797,430.16		2,296,064.77
(iii) चालू खाते में अनुसूचित बैंको में शेष		274,961,198.96		294,433,392.25
(iv) आवाधिक एवं सावधि जमा में अनुसूचित बैंको में शेष		876,505,792.00		911,094,994.00
(बैंक गारंटी के संबंध में न्यूनतम राशि के रूप में 6,98,185/- रु. रखे गए है, पिछले वर्ष 6,69,505/- रु.)		**1,167,732,442.53**		**1,229,694,150.37**
अनुसूची - IX				
अन्य चालू परिसम्पतियाँ				
ब्याज प्रोद्भूत परंतु अनुसूचित बैंको में आवधिक एवं		65,152,293.44		6,341,660.17
मियादी जमा पर प्राप्त नहीं		**65,152,293.44**		**6,341,660.17**

तुलन–पत्र के साथ संलग्न अनुसूचियां, जो उसका भाग हैं

		31 मार्च, 2008 को राशि (रु.)		31 मार्च, 2007 को राशि (रु.)
अनुसूची— X				
ऋण एवं अग्रिम				
(प्रबंधन द्वारा वसूली के लिए शोध्य माना गया अप्रतिभूत)				
नकद अथवा किस्म के रूप में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूलनीय अग्रिम				
शोध्य माना गया	180,370,538.34		184,975,938.13	
संदिग्ध माना गया	-		-	
	180,370,538.34	180,370,538.34	184,975,938.13	184,975,938.13
फ्लैटों के निर्माण के लिए भारतीय रेल को		57,468,810.00		56,289,062.00
पूंजी अग्रिम व भूमि प्रतिभूति एवं अन्य निक्षेप :				
– सरकार /सांविधिक निकायों के पास	146,378,558.37		258,781,855.80	
– अन्य के पास	544,979.80	146,923,538.17	342,989.80	259,124,845.60
स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम कर		450,855,835.66		264,229,159.85
अग्रिम फ्रिंज लाभ कर		6,207,526.00		3,357,526.00
पूर्व प्रदत्त व्यय		13,593,339.00		11,239,039.00
		855,419,587.17		**779,215,570.58**
अनुसूची-XI				
चालू देयताएँ और प्रावधान				
क. चालू देयताएँ				
(i) फुटकर लेनदार				
माल के लिए	299,540,347.11		134,303,511.43	
व्यय के लिए	678,240,412.04		735,194,441.71	
(एसएसआई को देय राशि– शून्य)				
(ii) सप्लायरों और लाइसेंसधारकों से निक्षेप				
प्रतिभूति निक्षेप	441,121,635.36		354,964,389.16	
अग्रिम धन जमा	166,681,091.00		102,906,329.00	
(iii) असमाप्त कन्शेसन फीस, लाइसेंस फीस एवं उपयोगकर्त्ता प्रभार				
असमाप्त कन्सेशन फीस	714,410,910.09		829,865,374.57	
असमाप्त लाइसेंस फीस	386,543,645.00		381,060,131.23	
असमाप्त उपयोगकर्त्ता प्रभार	1,918,423.00		-	
(iv) ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त	20,003,216.00		-	
(v) अन्य चालू देयताएँ				
अन्य देयताएँ	500,305,481.86		101,671,155.09	
भुगतान करने योग्य कर	30,203,478.18	3,238,968,639.64	14,088,672.83	2,654,054,005.02
ख. प्रावधान				
प्रस्तावित लाभांश	21,500,000.00		10,000,000.00	
लाभांश कर के लिए प्रावधान	3,653,925.00		1,699,500.00	
आयकर के लिए प्रावधान	352,987,636.00		242,987,636.00	
फ्रिंज लाभ कर के लिए प्रावधान	7,772,526.00		2,772,526.00	
सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान	6,103,173.00	392,017,260.00	2,616,461.00	260,076,123.00
जोड (क+ख)		**3,630,985,899.64**		**2,914,130,128.02**
अनुसूची— XII				
बट्टे खाते न डाले गए अथवा समायोजित न की गई सीमा तक विविध व्यय				
क. आस्थगित राजस्व खर्च				
प्रारंभिक शेष		-	939,880.00	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए	-	-	939,880.00	-
जोड़		-	-	-

तुलन–पत्र के साथ संलग्न अनुसूचियां, जो उसका भाग हैं

		31 मार्च, 2008 को राशि (रु.)		31 मार्च, 2007 को राशि (रु.)
आय				
अनुसूची– XIII				
बिक्री				
1) रेलनीर (पैक किया गया पीने का पानी)				
बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित परंतु बिक्री कर रहित सकल)	143,210,438.96		109,123,275.51	
घटाएं : उत्पाद शुल्क	33,241,703.00	109,968,735.96	28,847,520.21	80,275,755.30
2) विभागीय खानपान–				
खाद्य एवं पेय पदार्थो की बिक्री		1,425,639,209.61		1,542,290,497.63
कमरा किराया–रेलयात्री निवास /रेलवे होटल		8,640,703.54		19,488,958.15
बेड रोल एवं सफाई से आय		159,736,496.00		2,681,475.00
जोड़ (1 +2)		**1,703,985,145.11**		**1,644,736,686.08**
अनुसूची– XIV				
इंटरनेट टिकटिंग एवं कॉल सेन्टर से आय				
अर्जित सेवा प्रभार–भा.रे.टिकटें		389,331,871.00		234,331,052.00
लाइसेंस फीस–कॉल सेन्टर से आय		2,500,000.00		–
अर्जित सेवा प्रभार – एमएसएसटी		–		91,391.00
		391,831,871.00		**234,422,443.00**
अनुसूची– XV				
लाइसेंसधारक सेवाओं से आय				
क. खानपान एवं प्रदान की गई व्यापक सेवाओं से आय				
ऑन बोर्ड खानपान सेवाओं – राजधानी एवं शताब्दी		1,148,384,711.00		1,033,374,682.00
बेड रोल एवं सफाई सेवाओं से आय		261,345,367.00		38,487,417.00
		1,409,730,078.00		**1,071,862,099.00**
ख. कन्सेशन फीस, लाइसेंस फीस आदि से आय				
कन्सेशन फीस से आय		185,452,541.10		182,433,273.43
लाइसेंस फीस से आय		1,198,644,190.17		861,841,768.95
उपयोगकर्त्ता प्रभार–फूड प्लाजा से आय		34,080,986.00		30,488,745.00
लाइसेंस फीस– फूड प्लाजा से आय		64,121,843.71		45,126,580.05
		1,482,299,560.98		**1,119,890,367.43**
जोड़ (क +ख)		**2,892,029,638.98**		**2,191,752,466.43**
अनुसूची– XVI				
पर्यटन से आय				
यात्रा व टुअर से आय		90,824,250.25		113,647,577.00
उपयोगकर्त्ता प्रभार – बजट होटल से आय		4,513,975.00		–
लाइसेंस फीस –बजट होटल से आय		1,899,711.00		–
		97,237,936.25		**113,647,577.00**
अनुसूची– XVII				
अन्य आय				
निवेशों पर ब्याज		2,234.00		2,066.00
अन्य ब्याज आय		4,829,558.00		6,118,889.00
विज्ञापन/भारतीय स्टेट बैंक कोब्रान्डेड कार्डों और लॉयल्टी कार्डो से आय		29,183,454.00		22,619,650.55
आईएटीए/आरटीएसए/इंटरनेट कैफे आदि की फीस से आय		14,490,000.00		2,995,100.00
वेंडिंग से आय		2,133,129.00		52,970,844.07
अधिक प्रावधान प्रतिलेखन		679,591.00		1,261,627.25
प्रत्यादेश प्रभार एवं जब्त की गई जमानत जमा		426,198.00		–
संविदाओं की जब्ती पर प्रोद्भूत आय		19,134,833.00		–
निविदा फार्मों की बिक्री		1,698,987.00		6,473,838.00
विविध आय		12,928,105.99		5,922,578.54
		85,506,089.99		**98,364,593.41**

तुलन–पत्र के साथ संलग्न अनुसूचियां, जो उसका भाग हैं

		31 मार्च, 2008 को राशि (रु.)		31 मार्च, 2007 को राशि (रु.)
व्यय				
अनुसूची– XVIII				
उपभोग की गई सामग्री				
1) रेलनीर (पैक किया गया पीने का पानी)				
प्रारंभिक स्टाक	4,560,135.84		5,204,246.50	
जोड़ें : खरीद और व्यय	115,405,248.89		109,943,610.76	
	119,965,384.73		115,147,857.26	
घटाएं : अंतिम स्टाक	2,855,938.95	117,109,445.78	4,560,135.84	110,587,721.42
2) विभागीय खानपान				
क) उपभोग किया गया कच्चा माल				
प्रारंभिक स्टाक	10,930,405.78		20,259,957.55	
जोड़ें : खरीद	403,832,091.99		468,739,166.56	
	414,762,497.77		488,999,124.11	
घटाएं : अंतिम स्टाक	14,137,209.62	400,625,288.15	10,930,405.78	478,068,718.33
ख) पुनः बिक्री के लिए पीडी मदों की खरीद		464,040,821.04		427,031,449.83
जोड़ (1+2)		**981,775,554.97**		**1,015,687,889.58**
अनुसूची– XIX				
(तैयार माल में वृद्धि / कमी)				
रेलनीर (पैक किया गया पीने का पानी)				
प्रारंभिक स्टाक				
कार्य प्रक्रिया में	–		1,347,287.00	
तैयार माल	21,893,588.00		20,136,572.00	
	21,893,588.00		21,483,859.00	
अंतिम स्टाक				
कार्य प्रक्रिया में	–		–	
तैयार माल	21,636,284.00	257,304.00	21,893,588.00	(409,729.00)
विभागीय खानपान				
प्रारंभिक स्टाक				
तैयार माल	14,945.15		531,326.29	
पीडी मदें	22,317,743.23		24,540,312.47	
	22,332,688.38		25,071,638.76	
प्रारंभिक स्टाक				
तैयार माल	86,167.00		14,945.15	
पीडी मदें	18,603,650.27		22,317,743.23	
	18,689,817.27	3,642,871.11	22,332,688.38	2,738,950.38
		3,900,175.11		**2,329,221.38**
अनुसूची– XX				
लाइसेंसधारक खानपान सेवाओं का व्यय				
क) केटरिंग एवं प्रदान की गई व्यापक सेवाओं का व्यय				
ऑन बोर्ड केटरिंग प्रभार–राजधानी व शताब्दी ट्रेनें		1,148,384,711.00		1,033,540,851.00
सेवा प्रभार – बेड रोल एवं सफाई सेवाएं		261,234,367.00		37,442,181.00
		1,409,619,078.00		**1,070,983,032.00**
ख) कन्सेशन फीस, लाइसेंस फीस, कर्षण आदि का व्यय				
कन्सेशन फीस		29,215,809.00		27,898,462.00
लाइसेंस फीस		217,505,846.08		142,178,136.29
उपयोगकर्त्ता प्रभार – फूड प्लाजा		13,638,718.00		12,195,497.00
लाइसेंस कर्षण फीस –फूड प्लाजा		25,699,540.00		18,050,649.00
कर्षण प्रभार		300,000,000.00		302,102,248.75
लाइसेंस फीस प्रदत्त रेल भूमि–फूड प्लाजा		46,170.17		41,066.00
		586,106,083.25		**502,466,059.04**
जोड़ (क+ख)		**1,995,725,161.25**		**1,573,449,091.04**

तुलन–पत्र के साथ संलग्न अनुसूचियां, जो उसका भाग हैं

		31 मार्च, 2008 को राशि (रु.)		31 मार्च, 2007 को राशि (रु.)
अनुसूची– XXI				
पर्यटन व्यय				
यात्रा व टुअर व्यय		90,077,086.50		107,572,126.00
लाइसेंस फीस–बजट होटल		474,931.00		–
उपयोगकर्त्ता प्रभार–बजट होटल		1,128,491.00		–
लाइसेंस फीस प्रदत्त रेलवे भूमि–बजट होटल		14,000.00		–
		91,694,508.50		107,572,126.00
अनुसूची– XXII				
विनिर्माण और प्रत्यक्ष व्यय				
क. रेलनीर (पैक किया गया पीने का पानी)				
परिचालन एवं अनुरक्षण प्रभार		23,083,184.00		19,249,710.00
लाइसेंस फीस रेलवे भूमि		3,127,456.00		1,455,806.00
बिजली एवं ईंधन		13,679,259.00		13,862,406.00
मरम्मत एवं अनुरक्षण–संयंत्र एवं मशीनरी	468,517.18		638,107.00	
मरम्मत एवं अनुरक्षण–अन्य	565,818.00	1,034,335.18	215,130.00	853,237.00
अन्य प्रत्यक्ष व्यय		3,255,811.78		5,463,538.77
		44,180,045.96		40,884,697.77
ख. विभागीय खानपान				
पैकिंग सामग्री, पिसाई, मरम्मत एवं अन्य व्यय		912,365.55		5,657,383.37
मालभाड़ा आवक लदान और उतराई–केटरिंग		885,781.66		2,430,412.00
खाद्य निरीक्षण व्यय		1,018,233.00		300,109.00
ईंधन		62,146,796.78		75,161,868.80
बेड रोल एवं सफाई सेवाप्रभार		83,890,002.66		1,165,858.00
		148,853,179.65		84,715,631.17
ग. इंटरनेट टिकटिंग				
अनुरक्षण और अन्य प्रभार		53,427,967.00		39,061,421.07
लायल्टी कार्ड जारी व्यय		2,641,885.00		2,309,950.00
इंटरनेट उपयोग प्रभार		19,635,633.00		14,485,440.00
		75,705,485.00		55,856,811.07
जोड़ (क + ख+ ग)		268,738,710.61		181,457,140.01
अनुसूची–XXIII				
मानव संसाधन लागत				
क. निदेशक				
निदेशकों का वेतन, भत्ते, निष्पादन अवार्ड, प्रोद्भूत छुट्टी और पेंशन के लिए प्रावधान		2,704,610.17		2,214,122.00
		2,704,610.17		2,214,122.00
ख. अन्य				
वेतन, भत्ते, निष्पादन अवार्ड, प्रतिपूर्ति बोनस और प्रोद्भूत छुट्टी वेतन के लिए प्रावधान				
– विभागीय केटरिंग कर्मचारी		839,377,951.04		585,714,599.76
– अन्य		170,425,822.00		69,943,015.65
भविष्य निधि, उपदान और पेंशन निधियों में अंशदान :				
– विभागीय केटरिंग कर्मचारी		63,374,029.65		70,584,695.45
– अन्य		3,960,951.00		6,881,321.00
मा.सं.वि. और प्रशिक्षण व्यय		1,811,407.00		1,462,751.00
भर्ती व्यय		936,011.00		2,859,763.00
कर्मचारी कल्याण व्यय		2,449,125.15		1,392,685.98
परामर्शदाताओं को भुगतान		15,734,733.00		7,786,267.00
जनशक्ति सहायता प्रभार		47,581,336.72		22,992,454.61
प्रशिक्षणार्थियों को वजीफे		2,980,124.00		1,082,609.00
		1,148,631,490.56		770,700,162.45
जोड़ (क + ख)		1,151,336,100.73		772,914,284.45

तुलन–पत्र के साथ संलग्न अनुसूचियां, जो उसका भाग हैं

		31 मार्च, 2008 को राशि (रु.)		31 मार्च, 2007 को राशि (रु.)
अनुसूची– XXIV				
प्रशासनिक, बिक्री एवं वितरण व्यय				
क. प्रशासनिक व्यय				
सुरक्षा प्रभार		5,103,413.88		3,472,821.00
स्थानीय सवारी प्रभार		15,609,815.90		9,148,139.00
यात्रा व्यय :				
निदेशक–स्वदेश	335,985.71		1,186,521.30	
अन्य–स्वदेश	22,171,244.44		7,260,423.70	
निदेशक–विदेश	-		230,425.00	
अन्य–विदेश	1,181,651.00	23,688,881.15	575,860.89	9,253,230.89
कार्यालय व मरम्मत व्यय		21,690,431.47		17,000,130.73
किराया दरें और कर :				
कार्यालय किराया		49,819,256.00		30,953,170.30
शुल्क, दरें एवं कर		416,977.00		846,111.00
बिजली और पानी प्रभार		18,325,953.49		18,715,378.00
बैंक प्रभार		2,460,431.03		3,270,927.44
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं		377,722.93		131,670.00
बीमा व्यय		1,470,466.00		1,159,017.00
डाक एवं कुरियर प्रभार		3,819,193.00		1,528,486.52
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		13,348,938.88		12,285,040.92
टेलीफोन व्यय		18,602,546.56		8,838,103.52
इंटरनेट एवं लीज्ड लाइन व्यय		1,638,521.00		1,712,037.00
विविध व्यय		2,927,265.37		1,769,526.77
चंदा एवं सदस्यता शुल्क		352,422.96		204,157.99
नेशनल फाउडेंशन फॉर कम्युनल हारमोनी के लिए दान		100,000.00		-
बैठक एवं सेमिनार व्यय		2,835,735.29		1,185,228.25
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक		420,334.00		385,397.00
आंतरिक लेखापरीक्षा व्यय		390,743.25		387,647.00
प्रदत्त ब्याज–अन्य		50,739.00		134,202.00
कानूनी एवं व्यावसायिक व्यय		13,901,663.75		14,432,193.00
ईआरपी अनुरक्षण प्रभार		11,263,453.00		13,478,224.00
अचल परिसंपत्तियों के हटाने/ उनकी बिक्री पर हानि		–		180,000.66
		208,614,904.91		**150,470,839.99**
ख. बिक्री, वितरण संबंधी व्यय				
विज्ञापन व्यय		25,318,949.46		51,558,523.87
कारोबार विकास व्यय		6,129,886.03		5,200,363.32
वेंडरों को प्रदत्त कमीशन		51,052,516.46		61,424,601.48
ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण व्यय		4,563,420.00		–
मालभाड़ा, जावक और सीएफए प्रभार		37,435,831.50		28,401,876.08
डाक व्यय एवं कुरियर प्रभार		33,659,159.00		28,933,731.00
बट्टे खाते डाला गया अशोध्य ऋण		466,260.00		1,012,269.00
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		790,266.00		797,831.00
		159,416,288.45		**177,329,195.75**
जोड़ (क + ख)		**368,031,193.36**		**327,800,035.74**
अनुसूची– XXV				
पूर्व अवधि की आय/व्यय का समायोजन (शुद्ध)				
पूर्व अवधि आय		400,354.00		5,734,292.26
पूर्व अवधि व्यय		3,269,469.00		904,662.00
		2,869,115.00		**(4,829,630.26)**

अनुसूची – XXVI

लेखाकरण संबंधी प्रमुख नीतियाँ

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आधार

वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3ग) के अधीन भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट अनिवार्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

लेखाकरण की विधि

कॉरपोरेशन, परंपरागत लागत कन्वेंशन के अंतर्गत आय के आधार पर बीमा दावा और 1.11.2006 से उन अचल खानपान स्टालों के लाइसेंसधारकों, जिनको ठेका रेलों द्वारा दिया गया था, से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधार पर लाइसेंस फीस से आय की रिकार्ड बंदी करने के सिवाय लेखाकरण का प्रोद्भवन आधार अपना रहा है।

राजस्व की पहचान

कॉरपोरेशन केटरिंग सर्विस (चल और अचल दोनों यूनिटों) के प्रबंध करने, चल यूनिटों में बेडरोल और सफाई सेवाएं, विभागीय केटरिंग यूनिटों के परिचालन करने, सरकारी निजी भागीदारी के आधार पर रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों का प्रबंध संभालने, फूड प्लाजा के परिचालन, चल खानपान स्टालों, एवीएमएस के लिए लाइसेंस देने, इंटरनेट के जरिए रेल टिकटों की बुकिंग करने, सरकारी निजी भागीदारी के आधार पर रेल संपर्क–139 कॉल सेन्टर का प्रबंध संभालने, प्रसिद्ध टुअर आपरेटरों के लिए टिकटों की बुकिंग, संपूर्ण टुअर पैकेजों का प्रबंध संभालने, रेलनीर–पैक किए गए पीने के पानी के विनिर्माण एवं वितरण करने के कारोबार में लगा है।

1. बिक्री :

जब सामान बेचा जाता है और सेवाएं प्रदान की जाती हैं, रेलनीर–पैक किए गए पीने के पानी, स्क्रेप, खाद्य एवं पेय पदार्थों की वस्तुओं की बिक्री, रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों की पहचान की जाती है और जहां कहीं लागू है, उत्पाद शुल्क का शुद्ध और बिक्री कर आदि दर्ज किए जाते हैं। इसमें अंतर–डिपो और अंतर–यूनिट अंतरण शामिल नहीं होते हैं।

2. इंटरनेट टिकटिंग से आय :

इंटरनेट टिकटिंग से आय की पहचान कॉरपोरेशन के वेबसाइट–समर्थित पेमेन्ट गेटवे **www.irctc.co.in** के जरिए बेची गई टिकटों की बिक्री पर अर्जित सेवा प्रभार के मूल्य के आधार पर की जाती है। प्रोद्भवन के आधार पर इन टिकटों की बिक्री पर अर्जित सेवा प्रभारों को कॉरपोरेशन की आय के रूप में बुक किया गया है।

3. खानपान सेवाओं से आय :

कॉरपोरेशन को रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा अधिदेश दिया गया है कि ट्रेनों और अन्य स्थानों पर खानपान सेवाओं को उन्नत और व्यावसायिक बनाए। कंपनी केटरिंग सर्विस से आय निम्नलिखित नीतियों के अनुसार करती है :–

(क) ऑन बोर्ड (ट्रेन में) खानपान सेवाओं से आय :

कॉरपोरेशन भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों पर खानपान सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रोद्भवन आधार पर प्रदान की गयी खानपान सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे पर वसूल किए गए बिलों के आधार पर आय को लेखा में लिया जाता है।

(ख) कन्सेशन फीस, उपयोगकर्ता प्रभारों और लाइसेंस फीस से आय :

कॉरपोरेशन निम्नलिखित अनुसार आय प्राप्त कर रहा है :–

क्र.सं	करोबार की गतिविधियाँ	लाइसेंसधारकों से प्राप्त फीस का स्वरूप
1.	राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाएं/व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस देना	कंट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस और परिवर्तनीय लाइसेंस फीस
2.	मेल/जनशताब्दी/एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए लाइसेंस देना।	(i) कंट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस और खानपान नीति, 2005 से पूर्व ठेके पर दिए गए ट्रेनों के लिए निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस (ii) रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस
3.	भारतीय रेलवे के परिसरों में फूड प्लाजा स्थापित करने और उनके परिचालन के लिए लाइसेंस देना।	(i) आईआरसीटीसी की पहली नीति के अधीन दिए गए ठेकों के मामलों में निर्धारित मासिक उपयोगकर्त्ता प्रभार और परिवर्तनीय लाइसेंस फीस। (ii) रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार दिए गए नए ठेकों के मामले में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस
4.	रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित वैंडिंग मशीनों के लिए लाइसेंस देना।	(i) आईआरसीटीसी की पहली नीति के अधीन दिए गए ठेकों के मामलों में कंट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस और परिवर्तनीय लाइसेंस फीस। (ii) स्वचालित वैंडिंग मशीनों के लिए रेल मंत्रालय की नीति के अनुसार दिए गए नए ठेकों के मामलों में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस।
5.	रेलवे स्टेशनों पर अचल यूनिटों के लिए लाइसेंस देना।	(i) आईआरसीटीसी की पहली नीति के अधीन दिए गए ठेकों के मामलों में कंट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस और निर्धारित लाइसेंस फीस। (ii) रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार दिए गए ठेकों के मामले में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस निर्धारित वार्षिक उपयोगकर्त्ता प्रभार और लाइसेंस फीस।
6.	भारतीय रेलवे के परिसरों पर रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों का पुनर्विकास, परिचालन, प्रबंधन और हस्तांतरण करने के लिए लाइसेंस देना।	ठेकेदारों के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार निर्धारित वार्षिक उपयोगकर्त्ता प्रभार और लाइसेंस फीस।

निम्नलिखित के अनुसार इन शीर्षों के अंतर्गत आय की पहचान की गई/लेखा–जोखा किया गया है :–

(i) कन्सेशन फीस : राजस्व की पहचान से संबंधित लेखाकरण मानक (ए.एस.9.) में दी गयी समानुपाती समापन विधि के अनुसार कंट्रैक्ट की अवधि पर आय की पहचान मासिक यथानुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीने के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है। कॉरपोरेशन द्वारा प्राप्त एक–बारगी कन्सेशन फीस (असमाप्त कन्सेशन फीस) को अग्रिम में प्राप्त आय के रूप में माना गया है और प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है। यदि रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेनों को रद्द कर देने/बंद कर दिये जाने के कारण ट्रेनों के लिए ठेके समाप्त कर दिये जाते हैं तो आय की पहचान उस अवधि पर की जाती है जिस अवधि में ठेका लागू था।

(ii) उपयोगकर्ता प्रभार : फूड प्लाजा और बजट होटलों के लाइसेंसधारकों द्वारा देय उपयोगकर्त्ता प्रभार (लाइसेंसधारकों को उपलब्ध कराये गये रेलवे परिसरों के उपयोग के लिए निर्धारित किराया) को प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(iii) लाइसेंस फीस :

(क) कॉरपोरेशन द्वारा प्राप्त निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्कों को मासिक यथानुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीना के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भूत होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(ख) परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क को ठेकेदार द्वारा प्रदान की गयी खानपान सेवाएं/की गयी बिक्री के निर्धारित प्रतिशत के रूप में प्रोद्भूत होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(ग) लाइसेंसफीस को पुनर्विकास, परिचालन प्रबंध और हस्तांतरण करने के आधार पर लाइसेंसधारियों द्वारा परिचालित रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों के प्रक्षेपित कुल कारोबार के निर्धारित प्रतिशत के रूप में प्रोद्भवन आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(iv) ठेकों को जब्त करने से प्रोद्भूत आय : निबंधन एवं शर्तों के पालन न किये जाने के कारण समाप्त किए गए खानपान ठेकों से आय निम्नलिखित अनुसार की जाती है :

(क) ठेका समाप्त किए जाने की तारीख तक, कन्सेशन फीस के संबंध में आय कंट्रैक्ट अवधि पर मासिक यथानुपात के आधार पर तथा लाइसेंस फीस के मामले में उस अवधि पर मासिक यथानुपात के आधार पर की जाती है, जिस अवधि में ट्रेन का परिचालन हुआ है।

(ख) **अन्य आय** : ठेकों की जब्ती पर कन्सेशन फीस, लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप की शेष राशि को उस वर्ष के दौरान प्रोद्भूत हुई अन्य आय के रूप में पहचाना जाता है।

4. पर्यटन से आय :

कॉरपोरेशन रेल आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैल्यू एडिड टुअरों के अधीन विशेष ट्रेनों, विशेष कोच चार्टरों और शायिकाओं की बुकिंग का प्रबंध करने में लगा है। विशेष ट्रेनों/कोच चार्टरों से प्राप्त आय में रेलवे प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला मूल किराया, अन्य प्रभार और मूल किराए के एक निर्धारित प्रतिशत के रूप में कॉरपोरेशन का सेवा प्रभार सम्मिलित होता है। जबकि वैल्यू एडिड टुअरों के मामले में, आय में किराया, ब्लाक बुकिंग प्रभार, रेल प्रशासन तथा कॉरपोरेशन द्वारा लगाए गए अन्य प्रभार और किराए के एक निर्धारित प्रतिशत के रूप में सेवा प्रभार सम्मिलित होता है।

संपूर्ण टुअर पैकेजों के मामले में आय में ग्राहक से वसूल किए गए सेवा कर की शुद्ध कुल रकम शामिल होती है।

बौद्ध परिपथ विशेष रेलगाड़ी के मामले में, आय में ग्राहक से वसूल किए गए सेवा कर की कुल शुद्ध रकम शामिल है।

भारत दर्शन ट्रेनों के मामले में, लाइसेंस फीस टुअर आपरेटर से वसूल की जाती है और प्रोद्भवन के आधार पर लेखा–जोखा दिया जाता है।

5. **टीडीआर सहित सावधि जमाराशियों से ब्याज से आय :**

सावधि जमा राशियों से ब्याज के रूप में प्राप्त आय और टीडीआर की पहचान प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है।

6. **राष्ट्रीय बचत पत्र VIII इश्यू से निवेश पर ब्याज की आय :**

राष्ट्रीय बचत पत्रों पर ब्याज, ब्याज की निर्धारित दरों के अनुसार प्रोद्भवन के आधार पर खातों में दिया गया है।

व्यय :

व्यय की मदों की पहचान प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है, तथापि ऐसे कुछ व्यय/दावे, जो कि निर्धारण–योग्य नहीं है, को निर्धारण हो जाने पर लेखा में लिया जाता है।

1. **रेलनीर–पैक किए गए पीने के पानी और विभागीय खानपान के कार्यकलाप पर व्यय :**
व्यय को प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है और सभी ज्ञात हानियों और देयताओं के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **इंटरनेट टिकटिंग पर व्यय :**
व्यय का लेखा प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है और सभी ज्ञात हानियों तथा देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

3. **भुगतान किए गए खानपान प्रभार :**

(क) ऑनबोर्ड (ट्रेन में) केटरिंग प्रभार : ठेकेदार को भुगतान किए गए केटरिंग प्रभारों को भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रदान की गयी खानपान सेवाओं के लिए कॉरपोरेशन को दिए गए बिलों के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(ख) प्रदत्त कन्सेशन फीस, उपयोगकर्ता प्रभार, लाइसेंस फीस और कर्षण प्रभार :–

क्र.सं	करोबार की गतिविधियाँ	राजस्व अंशदान एमओयू के अनुसार भारतीय रेल को प्रदत्त फीस का स्वरूप
1.	राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाएं/व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस देना	कंट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस और परिवर्तनीय लाइसेंस फीस।
2.	मेल/जनशताब्दी/एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए लाइसेंस देना।	(i) आईआरसीटीसी की नीति के अंतर्गत दिए गए ठेकों के मामलों में कंट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस और निर्धारित लाइसेंस फीस। (ii) रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार दिए गए नए ठेकों के मामले में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस।

क्र.सं	करोबार की गतिविधियाँ	राजस्व अंशदान एमओयू के अनुसार भारतीय रेल को प्रदत्त फीस का स्वरूप
3.	भारतीय रेलवे के परिसरों में फूड प्लाजा स्थापित करने और उनके परिचालन के लिए लाइसेंस देना।	(i) आईआरसीटीसी की पहली नीति के अनुसार दिए गए ठेकों के मामलों में निर्धारित मासिक उपयोगकर्त्ता प्रभार और परिवर्तनीय लाइसेंस फीस। (ii) रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार दिए गए नए ठेकों के मामले में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस।
4.	रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित वैंडिंग मशीनों के लिए लाइसेंस देना।	(i) आईआरसीटीसी की पहली नीति के अनुसार दिए गए ठेकों के मामलों में कंट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस और परिवर्तनीय लाइसेंस फीस। (ii) स्वचालित वैंडिंग मशीनों के लिए रेल मंत्रालय की नीति के अनुसार दिए गए नए ठेकों के मामलों में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस।
5.	रेलवे स्टेशनों पर अचल यूनिटों के लिए लाइसेंस देना।	(i) आईआरसीटीसी की नीति के अंतर्गत दिए गए ठेकों के मामलों में कंट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस और निर्धारित लाइसेंस फीस। (ii) रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार दिए गए ठेकों के मामले में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस।
6.	भारतीय रेलवे के परिसरों पर रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों का पुनर्विकास, परिचालन, प्रबंधन और हस्तांतरण करने के लिए लाइसेंस देना।	निर्धारित वार्षिक उपयोगकर्त्ता प्रभार और लाइसेंस फीस।

इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय निम्नलिखितानुसार है/उसका लेखा–जोखा किया गया है:

i) **भुगतान की गई कन्सेशन फीस** : ऑन बोर्ड केटरिंग ठेका, एवीएम, अचल यूनिटों आदि के संबंध में भारतीय रेलवे को प्रदत्त कन्सेशन फीस की पहचान कंट्रैक्ट की अवधि पर मासिक यथानुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीने के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है। भारतीय रेल को असमाप्त कन्सेशन फीस के किए गए भुगतान को अग्रिम के रूप में माना गया है। यदि ट्रेनों के लिए ठेके, ठेके की निबंधन एवं शर्तों का पालन न किए जाने या रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेन रद्द /समाप्त कर दिये जाने के कारण समाप्त कर दिये जाते हैं, तो व्यय की पहचान उस अवधि पर की जाती है जिस अवधि में ठेका लागू था।

ii) **भुगतान किए गए उपयोगकर्ता प्रभार** : फूड प्लाजा और बजट होटलों के संबंध में भारतीय रेलवे को भुगतान किए गए उपयोगकर्त्ता प्रभार को प्रोद्भवन के आधार पर लेखा–जोखा किया जाता है।

iii) भुगतान की गई लाइसेंस फीस :

(क) कॉरपोरेशन द्वारा भारतीय रेलवे को भुगतान की गई निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस को मासिक यथानुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीने के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भूत होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(ख) भारतीय रेल को भुगतान की गई परिवर्तनीय लाइसेंस फीस को प्रदान की गयी खानपान सेवाएं/की गयी बिक्री के निर्धारित प्रतिशत के रूप में प्रोद्भूत होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

iv) कर्षण लागत :

पैन्ट्रीकारों के लिए रेल मंत्रालय द्वारा लगाई गई कर्षण लागत 30 करोड़ रु. की रकम रेलवे बोर्ड के दिनांक 8/15 मई, 2008 के पत्र सं.2005/टीजी–III/675/14 के आधार पर लेखा में ली गई है।

v) पर्यटन व्यय :

टिकटों की लागत, अन्य प्रभार, यदि कोई भारतीय रेल द्वारा लगाये गए हों, और विशेष ट्रेनों/कोच चार्टरों/बर्थों की बुकिंग पर सेवा प्रभारों को प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

संपूर्ण टुअर पैकेजों और बौद्ध परिपथ विशेष रेलगाड़ी के मामले में ट्रेन टिकटों की लागत, सेवा प्रभारों, और अन्य प्रभारों यदि कोई भारतीय रेलवे द्वारा लगाए गए हों, सड़क यात्रा व्ययों और आवास तथा भोजन प्रभारों को प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

अचल परिसम्पतियाँ :

(i) अचल परिसम्पतियों को संस्थापना प्रभारों और अन्य संबंधित व्ययों सहित उनके अर्जन की लागत पर निर्धारित किया जाता है। कंप्यूटरों के मामले में नियमित अपग्रेड और साफ्टवेयर आदि के वार्षिक रख–रखाव को छोड़कर कम्प्यूटर के साथ प्राप्त "साफ्टवेयर की लागत जिसे राजस्व व्यय के रूप में माना गया है, सॉफ्टवेयर विकास प्रभार, वेब पोर्टल, पर्यटन पोर्टल और कंप्यूटर नेटवर्किंग व्ययों को कंप्यूटरों के साथ पूंजीकृत किया गया है। पट्टे पर लिए गए भवनों पर हुए व्यय का पिछले वर्ष में अपनाई गई प्रणाली के अनुसार पट्टागत सुधारों के रूप में पूंजीकृत किया गया है।

(ii) इन खानपान यूनिटों में स्थित औजारों व संयंत्रों को, जैसा है, जहां है के आधार पर लिया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों के मूल्य उपलब्ध न होने कारण, ऐसी परिसंपत्तियों को उनका वास्तविक सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए कॉपरोरेशन के जोनल कार्यालयों की बहियों में प्रति मद 1/–रु. के नाममात्र के मूल्य पर लेखा में लिया जाता है।

पूंजीगत चालू कार्य :

बजट होटलों, इंटरनेट टिकटिंग परिचालन केन्द्र, रेलनीर संयंत्र नांगलोई, रेलनीर संयंत्र के लिए जोनल कार्यालय, चेन्नै में लंबित कार्यों, कार्यान्वयन के अधीन कार्य संबंधी व्यय पूंजीगत चालू कार्य के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं और कार्य समापन के बाद अलग–अलग शीर्षों में आबंटित किए जाएंगे।

मूल्यह्रास

i. कॉरपोरेशन नांगलोई और दानापुर में स्थित रेलनीर संयंत्रों के भवनों और संयंत्र एवं मशीनरी के संबंध में मूल्यह्रास की सीधी पद्धति और अन्य परिसंपतियों के संबंध में ह्रासित मूल्य पद्धति अपना रहा हैं। मूल्यह्रास

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट दरों पर दिया जाता है। मूल्यह्रास इस्तेमाल के लिए प्रस्तुत करने की तारीख से यथानुपात के आधार पर परिकलित किया जाता है। वर्ष के दौरान मूल्यह्रास परिसंपतियों की बिक्री, छांटने तथा क्षति होने की तारीख से दिया जाता है।

ii. जिन विशेष परिसंपत्तियों के अर्जन की वास्तविक लागत वर्ष के दौरान 5000/– रुपये (पांच हजार रुपये) से अधिक नहीं है, उनके मामले में मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार 100 प्रतिशत की दर से किया गया है।

iii. पट्टागत सुधारों पर पट्टे की अवधि के आधार पर मूल्यह्रास लगाया गया है।

iv. औजारों व संयंत्रों पर कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया है।

वस्तुसूचियाँ :

i) वस्तुसूचियों का मूल्यांकन कम लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य पर किया जाता है।

ii) कच्चे माल, पैकिंग सामान, भण्डार, मशीन के अतिरिक्त पुर्जों और उपभोग्य वस्तुओं के मामले में, कीमत में शुल्क एवं कर (केनवेट (CENVAT) का शुद्ध, जहां कहीं लागू हो) शामिल होते हैं और वह फाइफो (FIFO) के आधार पर घटित होता है।

iii) तैयार माल और चालू कार्य की लागत में कच्चे माल, पैकिंग सामग्री की लागत, निश्चित और परिवर्तनीय उत्पादन खर्चों का समुचित भाग, यथालागू उत्पाद शुल्क तथा अन्य व्यय जो वस्तुसूचियों को उनकी वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में किया गया, शामिल है।

iv) पीडी मदों (व्यापारिक सामान) का मूल्यांकन फाइफो (FIFO) के आधार पर लागत पर किया जाता है।

निवेश :–

निवेश को दीर्घावधि के रूप में वगीकृत किया जाता है और लागत में दिखाया जाता है।

सेवानिवृत्ति लाभ :

i) भविष्य निधि में कॉरपोरेशन के अंशदान को राजस्व आय के अंतर्गत प्रभारित किया जाता है।

ii) सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार वर्ष 2007–2008 के लिए प्रतिनियुक्त (वे कर्मचारी, जिन्होंने भारतीय रेलवे से एक निश्चित अवधि के लिए कॉरपोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर ज्वाइन किया है) के संबंध में छुट्टी के नकदीकरण और पेंशन के लिए देय इतर सेवा के अंशदान को प्रोद्भवन के आधार पर राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

iii) उपदान और छुट्टी का वेतन तुलनपत्र की तारीख में दिए गए अनुसार 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष के प्रतिलाभ की औसत दर मानते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है।

कराधान :

(i) कॉरपोरेशन ने वर्तमान आयकर के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों पर व्यवस्था की है।

(ii) कॉरपोरेशन ने आस्थगित कराधान के लिए भारतीय सनदी (चार्टर्ड) लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''आय पर करों का लेखाकरण'' पर लेखाकरण मानक (एएस–22) के अनुरूप नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार

लेखाओं में दिया है :

(क) आस्थगित कर का निर्धारण, समय के अंतरों के आधार पर, किया जाता है, और ये उस कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच के अंतर हैं जो किसी एक अवधि में उत्पन्न होते हैं और उन्हें बाद की किसी एक या अधिक अवधियों में उलटाया जा सकता है।

(ख) प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख में दिए गए अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की समीक्षा वर्ष के दौरान हुई प्रगति के आधार पर वसूली/देयताओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए की जाती है।

प्रस्तावित लाभांश :

निदेशक बोर्ड द्वारा यथा प्रस्तावित अंतिम लाभांश वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है। तथापि, लाभांश कर के लिए प्रावधान वार्षिक लेखा में किया गया है।

वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश को निदेशक बोर्ड द्वारा प्रस्तावित अंतिम लाभांश में समायोजित किया जाएगा।

फुटकर देनदार/अग्रिम :

फुटकर देनदारों/अग्रिमों को बट्टे खाते में डालने के बाद अशोध्य ऋणों के रूप में दर्शाया जाता है। संदिग्ध माने गए ऋणों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएँ :

(i) पूंजीगत लेखा के अंतर्गत निष्पादित किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि और पिछले वर्ष में 396.73 लाख रु. की तुलना में 154.20 लाख रु. की राशि की व्यवस्था नहीं की गई है।

(ii) कॉरपोरेशन के संबंध में वर्ष 2004–2005 के लिए 30.69 लाख रु. के आय कर की मांग की गई। तदनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246क (1)(क) के अंतर्गत एक अपील निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।

(iii) निर्धारण वर्ष 2005–2006 के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए 11.01 लाख रु. की रकम के प्रावधान के कारण गलती से अस्वीकृत किया गया है। तदनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 (1) (क) के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की गई है।

(iv) 2.06 लाख रु. के बिक्रीकर के वर्ष 2004–2005 के लिए एक मांग नोटिस पश्चिम बंगाल बिक्रीकर प्रधिकारियों से प्राप्त हुआ था, जिसमें से 0.88 लाख रु. का भुगतान कर दिया गया है और 1.17 लाख रु. की शेष रकम के लिए एक अपील फाइल की गई है।

(v) राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान की गई खानपान सेवाएं वित्त अधिनियम, 2004 के अनुसार सेवाकर के लिए प्रभारित की जाती हैं। अब, बिक्री/वैट विभाग, दिल्ली ने बिक्रीकर/वेट, दिल्ली के लिए दायी सामान की बिक्री के रूप में खाद्य एवं पेय पदार्थ के साथ दी गई सेवा माना है। अप्रैल, 07 से अक्तूबर, 07 की अवधि के लिए कर, ब्याज और जुर्माना के कारण 1175.63 लाख की रकम की बड़ी मांग की गई है। सेवाकर और बिक्रीकर/वेट दोनों एक ही कार्य पर लगाए गए हैं। वैट अधिकारी ने इस प्रकार की सेवाओं पर वैट कानून/भारत के संविधान के विपरीत वैट लगाया गया है। सेवाकर व वैट एक ही कार्य पर एक साथ नहीं लगाया जा सकता है।

आईआरसीटीसी ने कानूनी सलाह प्राप्त की है और सलाह दी गई है कि रेलगाड़ियों में खानपान सेवाएं प्रदान करना एक आउटडोर केटरर जैसी दी गई सेवाएं होती हैं और सेवाकर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। सेवाएं सामान की बिक्री नहीं मानी जाती है और इसलिए उक्त सेवाओं पर कोई बिक्रीकर/वैट नहीं लगाया जा सकता।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आईआरसीटीसी ने राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में दी गई खानपान सेवाओं पर दिल्ली वेल्यू एडिड टैक्स एक्ट, 2004 के अधीन बिक्रीकर प्राधिकरण द्वारा उस वैट की उगाही को चुनौती दी है, जिस पर सेवाकर को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में 28 जुलाई, 2008 को याचिका के द्वारा पहले ही भुगतान कर दिया है।

2. आस्थगित राजस्व व्यय :

आस्थगित राजस्व व्यय के अंतर्गत पड़ा हुआ शेष शून्य (पिछले वर्ष 9.40 लाख रु.) है।

3. निदेशकों पर/द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष 2007–2008 के दौरान, कॉरपोरेशन ने प्रबंध निदेशक और कार्यरत निदेशकों के लिए निम्नलिखित भुगतानों की व्यवस्था की है या उनका भुगतान किया है :

(लाख रु. में)

विवरण	प्रबंध निदेशक		कार्यरत निदेशक	
	31.03.2008 को समाप्त वर्ष	31.03.2007 को समाप्त वर्ष	31.03.2008 को समाप्त वर्ष	31.03.2007 को समाप्त वर्ष
वेतन, भत्ते एवं अनुलाभ	5.76	6.05	20.05	12.16
यात्रा व्यय–स्वदेशी यात्रा	0.56	2.85	2.80	9.01
यात्रा–व्यय–विदेशी यात्रा	शून्य	शून्य	शून्य	2.30
रेलवे को अदा किया गया एफएससी	1.23	0.98	शून्य	2.95
जोड	**7.55**	**9.88**	**22.85**	**26.42**

4. लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक(सेवाकर सहित, जहाँ कहीं लागू हो)

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2008 को समाप्त वर्ष	31.03.2007 को समाप्त वर्ष
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	1.65	1.57
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.65	0.52
अन्य कार्यों के लिए	शून्य	शून्य
आंतरिक लेखापरीक्षा व्यय	3.91	2.30
अन्य व्यय	1.90	3.34
जोड़	**8.11**	**7.73**

5. उत्पादन

(i) रेलनीर – पैक किया गया पीने का पानी

मद विवरण	यूनिट	स्थान	स्थापित क्षमता* (संख्या)		उत्पादन (संख्या)	
			2007–08	2006–07	2007–08	2006–07
रेलनीर पैक किया गया पीने का पानी	1000 मि.लि. की बोतलें	नांगलोई	23760000	23760000	21042576	20739792
		दानापुर	23760000	23760000	19602000	14372844
जोड़			**47520000**	**47520000**	**40644576**	**35112636**

* स्थापित क्षमता तीन–शिफ्ट के आधार पर मानी गई है।

(ii) विभागीय केटरिंग :–

भारतीय रेलों द्वारा निर्धारित मेन्यू के अनुसार केटरिंग कार्य–कलापों में लगी हुई विभागीय यूनिटें विभिन्न पकी चीजों को तैयार करने में लगी हुई हैं। उक्त मेन्यू एक क्षेत्रीय रेलवे दूसरी क्षेत्रीय रेलवे में भिन्न–भिन्न होते हैं। चीजों को मेन्यू के अनुसार तैयार किया जाता है। किसी विशेष तैयार की गई चीज के लिए स्थापित क्षमता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, तैयार की गई चीजें विषम स्वरूप की हैं, इसलिए तैयार चीजों की प्रत्येक श्रेणी का ब्यौरा देना संभव नहीं है।

6. भंडार एवं कुल बिक्री :

(i) रेलनीर – पैक किया गया पीने का पानी

वर्ष	यूनिट	प्रारंभिक स्टॉक		अंतिम स्टॉक		कुल बिक्री	
		मात्रा (संख्या में)	मूल्य (लाख रु.में)	मात्रा (संख्या में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (संख्या में)	मूल्य* (लाख रु. में)
2007–08	1000 मि.ली. की बोतलें	33,19,495	218.93	34,58,552	216.36	4,04,79,239	1099.69
2006–07		33,25,190	201.36	33,19,495	218.93	3,50,86,555	802.76

* उत्पाद शुल्क और बिक्री कर रहित बिक्री

(ii) रेलयात्री निवास सहित विभागीय केटरिंग :–

वर्ष	यूनिट	प्रारंभिक स्टॉक		अंतिम स्टॉक		कुल बिक्री	
		मात्रा संख्या में	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (संख्या में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (संख्या में)	मूल्य (लाख रु. में)
2007–08	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	223.33	उपलब्ध नहीं	186.90	उपलब्ध नहीं	14342.80
2006–07	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	250.72	उपलब्ध नहीं	223.33	उपलब्ध नहीं	15617.79

*इसमें आईआरसीटीसी द्वारा प्रबंध की तारीख तक पुनः बिक्री के लिए खरीदी गई पीडी चीजे और रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों के कमरा–किराया प्रभार शामिल है, जिसके बाद यात्री निवास और रेलवे होटलों को पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के आधार पर सौंप दिया गया है। पीडी चीजें पैक की गई स्थिति में, बाजार से खरीदी गई और रेलवे स्टेशनों पर बेची गई जैसे नमकीन, बिस्कुट और मिनरल वाटर आदि स्वामित्व वितरण वाली चीजें हैं।

विभागीय केटरिंग यूनिटें उन विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे यात्रियों को खाद्य एवं पेय पदार्थों की सप्लाई में लगी हुई हैं, जहाँ केटरिंग कारोबार को कॉरपोरेशन द्वारा अपने अधिकार में ले लिया है और जो विषम स्वरूप की हैं। इसलिए खरीद, बिक्री, प्रारंभिक और अंतिम स्टाक के लिए उसकी मात्रा दर्शाते हुए, सामान की प्रत्येक श्रेणी का मात्रात्मक ब्यौरा देना व्यवहार्य नहीं है।

(iii) विभागीय केटरिंग–बेडरोल एवं सफाई सेवाएं :–

वर्ष	यूनिट	प्रारंभिक स्टॉक		अंतिम स्टॉक		कुल बिक्री	
		मात्रा (संख्या में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (संख्य में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (संख्या में)	मूल्य (लाख रु. में)
2007–08	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1597.36
2006–07	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नही	26.81

7. उपयोग किया गया कच्चा माल :

(i) रेलनीर :

	यूनिट	2007–08		2006–07	
		मात्रा (संख्या में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (संख्या में)	मूल्य (लाख रु. में)
प्रीफार्म्स	संख्या	41348951	771.26	35781672	825.32
केप्स	संख्या	41274362	142.06	35742824	88.18
लेबल	संख्या	40713285	48.81	32835101	39.83
कार्टन्स	संख्या	3473285	200.97	2996254	145.29
बॉप्प टेप्स	रोल्स	4759	7.99	34856	7.25
जोड़			**1171.09**		**1105.87**

(ii) विभागीय केटरिंग

	2007–08		2006–07	
	मात्रा (संख्या में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (संख्या में)	मूल्य (लाख रु. में)
उपयोग किया गया कच्चा माल	उपलब्ध नहीं	4006.25	उपलब्ध नहीं	4780.69

केटरिंग कार्यकलापों में लगी विभागीय यूनिटें भारतीय रेल द्वारा मेन्यू में निर्धारित पकी चीजों को बनाने के लिए आवश्यक असंख्य कच्चे माल की बहुत सी वस्तुओं का उपयोग कर रही हैं। उक्त मेन्यू एक क्षेत्रीय रेलवे से दूसरी क्षेत्रीय रेलवे में भिन्न–भिन्न होता है। उसी प्रकार अपेक्षित बहुत से कच्चे माल भी भिन्न–भिन्न होते हैं। कच्चे माल के रूप में प्रयोग की गई वस्तुएँ विषम स्वरूप की हैं। उपयोग की गई वस्तुओं की प्रत्येक श्रेणी का मात्रात्मक ब्यौरा देना संभव नही है।

8. **विदेशी मुद्रा में खर्च**

(लाख रु. में)

व्यय का स्वरूप	**2007–08**	**2006–07**
विदेश यात्रा व्यय–निदेशकों का	शून्य	2.30
विदेश यात्रा व्यय अन्यों का	11.82	5.76
जोड़	**11.82**	**8.06**

9. निदेशक बोर्ड की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियों का मूल्य, ऋण और अग्रिम, यदि सामान्य कारोबार के दौरान वसूल किए गए तो वह उस राशि से कम नही होंगे जो कि तुलन–पत्र में बताए गए हैं। बहरहाल, तुलन–पत्र में यथा उल्लिखित देनदारों और लेनदारों/अग्रिमों का बकाया पुष्टिकरण के अध्यधीन है।

10. पिछले वर्ष 2006–2007 से संबंधित समायोजन :

(लाख रु. में)

विवरण	**31.03.2008 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2007 को समाप्त वर्ष**
आय	4.00	57.34
व्यय	32.69	9.04
पूर्व अवधि के शुद्ध समायोजन	28.69	(48.30)

पूर्व अवधि आय में बेडरोल और पूर्व वर्ष से संबंधित अन्य विविध आय शामिल है।

पूर्व अवधि व्यय में बेडराल व्यय शामिल हैं। 19.71 लाख रु. का बाह्य खानपान सेवाओं पर प्रदत्त सेवा कर को रेल मंत्रालय द्वारा खानपान प्रभारों के संशोधन में विलंब के कारण यात्रियों से वसूल नही किया गया था।

11. फुटकर लेनदार में लघु–उद्योगों को शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.) की देय राशि शामिल है।

12. अशोध्य और संदिग्ध ऋणों/के लिए प्रावधान :

कॉरपोरेशन ने अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए निम्नलिखितानुसार प्रावधान किया है :

(क) 7.90 लाख रु. (पिछले वर्ष 7.98 लाख रु.) जो वर्ष 2007–2008 के दौरान इंटरनेट के जरिये बुक की गई रेल टिकटों के लिए भुगतान गेटवे द्वारा सूचित किए गए चार्ज बैक/रिवर्सल के मामलों के संबंध में कुल बकाया का 100 प्रतिशत है, की अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था की गई है।

(ख) इसके अतिरिक्त 4.66 लाख रु. (पिछले वर्ष 10.12 लाख रु.) चार्ज बैक के लिए स्वीकार किया गया था और उसे अशोध्य ऋण के रूप में प्रभारित किया गया है।

13 रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड के निदेशों के अनुसरण में, कॉरपोरेशन ने रेलवे से रेलयात्री निवास और भारतीय रेल के रेलवे होटलों सहित समस्त विभागीय केटरिंग कारोबार, कुछ स्थानों को छोड़कर, अपने अधिकार में ले लिया। इन केटरिंग यूनिटों पर स्थित औजार तथा संयंत्रों को ''जैसा है, जहां है'' के आधार पर लिया गया। ऐसी परिसंपत्तियों के मूल्य उपलब्ध न होने के कारण, ऐसी परिसंपत्तियों को 1/–रु. प्रति मद के नाममात्र के मूल्य पर वास्तविक सत्यापन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कॉरपोरेशन के जोनल कार्यालयों के बही खातों में 1.90 लाख रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.) की रकम को लेखा में लिया जाता है। इन परिसंपत्तियों पर वर्ष के दौरान कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान रेलवे से कोई नई परिसंपत्तियाँ अधिकार में नहीं ली गई थी। फिर भी, कॉरपोरेशन ऐसी परिसंपत्तियों का रख रखाव कर रहा है और राजस्व अंशदान, यदि कोई हो, रेल मंत्रालय के साथ दिनांक 17.01.2007 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार रेलवे को किया जा रहा है।

14. वर्ष 2007–2008 के दौरान, विभिन्न जोनल रेलों के साथ भागीदारी, रेल मंत्रालय के साथ निष्पादित किए गए दिनांक 17.01.2007 के समझौता ज्ञापन के अनुसार की गई है।

15. संबंधित पार्टी जिसके साथ वर्ष के दौरान लेन–देन किया गया है से संबंधित ब्योरा और संबंध का स्वरूप निम्नलिखितानुसार है :–

क्र.सं.	संबंधित पार्टियों का नाम	पदनाम	संबंध स्वरूप
1.	डॉ. पी. के. गोयल	प्रबंध निदेशक	मुख्य प्रबंधन व्यक्ति
2.	डॉ. नलिन सिंघल	निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	मुख्य प्रबंधन व्यक्ति
3.	श्री वी. के. जैन	निदेशक (वित्त)	मुख्य प्रबंधन व्यक्ति
4.	श्री विनोद अस्थाना	निदेशक (खानपान सेवाएं)	मुख्य प्रबंधन व्यक्ति

वर्ष के दौरान संबंधित लेन–देन का ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार था : (लाख रू. में)

लेन–देन का स्वरूप	2007–08	2006–07
प्रबंधकीय संबंधी पारिश्रमिक (मुख्य प्रबंधन व्यक्ति)	30.40	36.30

16. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक (एएस.28)–परिसंपत्तियों की हानि के अनुसरण में, कॉरपोरेशन ने 31 मार्च, 2008 को कॉरपोरेशन की अचल परिसंपत्तियों के मूल्य में हानि के किसी संकेत के लिए एक आकलन किया। ऐसे आकलन के आधार पर, प्रबंधन की राय में, कॉरपोरेशन की अचल परिसंपत्तियों की हानि के लिए वर्ष के दौरान कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों संबंधी लेखाकरण मानक (एएस.29) के अनुसरण में, 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा में किए गए प्रावधान से संबधित प्रकटीकरण निम्नलिखितानुसार है :–

(लाख रु. में)

विवरण	अशोध्य एवं असंदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		छुट्टी नकदीकरण (सेवा निवृत्ति लाभ) के लिए प्रावधान		उपदान (सेवा निवृत्ति लाभ) के लिए प्रावधान	
	2007–08	2006–07	2007–08	2006–07	2007–08	2006–07
प्रारंभिक शेष	7.98	13.07	18.09	6.31	8.08	2.97
परिवर्धन	7.90	7.98	23.42	11.78	11.43	5.10
उपयोग	7.98	13.07	0	0	0	0
रिवर्सल	0	0	0	0	0	0
अंतशेष	7.90	7.98	41.51	18.09	19.51	8.08

टिप्पणी : **1.** संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर किया जाता है।

2. सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

18. कॉरपोरेशन ने समय के अंतर के कारण उत्पन्न आस्थगित कर की पहचान की है जो कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच का अंतर होता है और जो एक अवधि में उत्पन्न होता है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक (एएस.22) आय पर करों के लेखाकरण के अनुपालन में एक अवधि अथवा अधिक अवधि (यों) में रिवर्सल के योग्य है। समय के अंतर के कारण 31.03.2008 को आस्थगित कर देयता एवं परिसंपत्ति के प्रमुख घटक निम्नलिखितानुसार है :–

(लाख रु. में)

निम्नलिखित के कारण आस्थगित कर देयता	**31 मार्च, 2008**	**31 मार्च, 2007 को को**
खाता बहियों और आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार परिसंपत्ति मूल्य के बीच अंतर	273.50	201.17
धारा 40(क) (i क) के अधीन स्वीकार्य रकम	शून्य	शून्य
जोड़	**273.50**	**201.17**
निम्नलिखित के कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति	**31 मार्च, 2008 को**	**31 मार्च, 2007 को**
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	2.69	2.71
सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान	11.85	5.74
धारा 40(क)(iक) के अधीन कटौती न करने योग्य रकम	शून्य	6.36
जोड़	14.54	14.81
शुद्ध आस्थगित कर देयता	**258.96**	**186.36**

19. लाइसेंसधारक द्वारा प्रबंधित अचल केटरिंग स्टालों, जिन्हें रेलों द्वारा ठेके पर दिया गया था, को आईआरसीटीसी को विभिन्न क्षेत्रीय रेलों द्वारा समनुदेशन विलेख के द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया था। रेल मंत्रालय के निदेश के अनुसार, आईआरसीटीसी ने अचल केटरिंग स्टालों के लाइसेंसधारकों को 1 नवम्बर, 2006 से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधार पर लाइसेंस फीस का भुगतान करने के लिए सूचित किया है।

    यह देखा गया है कि बहुत से लाइसेंसधारक जीडीपी आधार पर निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान नहीं कर रहे हैं और बहुत से लाइसेंसधारक जीडीपी आधार पर लाइसेंस फीस के निर्धारण को चुनौती देने न्यायालय चले गए हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। लाइसेंसधारकों से वसूल की जाने वाली रकम के निर्धारण के संबंध में अनिश्चितताएं हैं। कॉरपोरेशन ने निम्नलिखित ढंग से ऐसे लाइसेंसधारक केटरिंग स्टालों के संबंध में लेखाकरण मानक (एएस.9) के अनुसार आय की पहचान की है।

    – उन अचल केटरिंग स्टालों के लिए राजस्व जोकि भारतीय रेल से अधिकार में ली गई थी और जिनके लिए निविदाओं को, पहले के आधार पर, जिस पर आय पिछले वर्ष के दौरान प्रोद्भूत हुई थी, अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
    – जहां कहीं भुगतान जीडीपी के आधार पर वसूल किया गया है, उसे जीडीपी के आधार पर प्रोद्भूत किया गया है।
    – जीडीपी आधार पर अचल केटरिंग स्टालों की लाइसेंस फीस वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

20. पट्टागत परिसरों में सिविल कार्य पर उठाए गए खर्च को पट्टागत सुधार के रूप में लेखा में दिया गया है और मूल्यह्रास को पट्टा के करार के अनुसार पट्टावधि के आधार पर परिकलित किया गया है।

    रेलनीर संयंत्रों के अलावा रेल भूमि स्थित परिसरों पर सिविल कार्य पर उठाए गए खर्च को पट्टागत सुधार के रूप में लेखा में दिया गया है और 10 वर्ष की अवधि से अधिक तक मूल्यह्रासित किया गया है।

21. आईआरसीटीसी ने नांगलोई और दानापुर रेलनीर संयंत्र की स्थापना के लिए पट्टे के आधार पर रेलवे से भूमि ली है, जिसके लिए रेलवे प्राधिकारियों द्वारा पट्टा अवधि निर्धारित नहीं की गई है। रेलवे की नीति के अनुसार पट्टे की अधिकतम अवधि 35 वर्ष की अवधि की हो सकती है जिसका 35 वर्ष की अवधि से आगे नवीकरण किया जा सकता है। नांगलोई और दानापुर में रेलनीर संयंत्रों के भवनों पर मूल्यह्रास निरन्तर अपनाई जा रही लेखाकरण नीति के अनुसार सीधी लाइन पर प्रदान किया गया है। आईआरसीटीसी ने आईआरसीटीसी को दी गई ऐसी भूमि की अधिकतम पट्टा अवधि की पुष्टि करने के लिए संबंधित रेलवे को लिखा है और जिसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

22. रेल मंत्रालय ने दिनांक 8/15 मई,2008 के पत्र सं.2005/टीजी III/675/14 के द्वारा निदेश दिया है कि वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए पैन्ट्रीकारों के लिए 30 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 30.21 करोड़ रु.) के कर्षण प्रभार का भुगतान आईआरसीटीसी द्वारा किया जाना है, जिसकी वर्ष 2007–2008 के लिए कर्षण प्रभार के रूप में व्यवस्था की गई है।

23. रेल मंत्रालय ने दिनांक 22.11.2006 के पत्र सं.2006/एलएमबी/09/03 के द्वारा निदेश दिया है कि केटरिंग तथा वेंडिंग यूनिटों के लिए जल प्रभारों का भुगतान आईआरसीटीसी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। जल प्रभार के लिए कोई मांग रेल मंत्रालय अथवा जोनल रेलों से प्राप्त नहीं हुई है। यूनिटों के लिए जल प्रभार का प्रावधान

कल्पित आधार पर किया जाता है जैसा कि जोनल रेलों द्वारा बिक्री के कुल कारोबार के 0.1 प्रतिशत की दर से अपनाई गई पद्धति थी।

उन विभागीय केटरिंग यूनिटों के लिए बिजली प्रभारों के लिए प्रावधान, जहां बिल संबंधित रेलों से प्राप्त नहीं हुए हैं, कल्पित आधार पर किया जाता है जैसा कि बिक्री के कुल कारोबार की 0.3 प्रतिशत की दर से जोनल रेलवे द्वारा अपनाई गई पद्धति थी।

24. आईआरसीटीसी मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों पर और रेल मंत्रालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार अन्य स्थानों पर खानपान सेवाएं प्रदान कर रही है। जहां कही, कारोबार विभागीय तौर पर चलाई गई यूनिटों द्वारा संभाला जाता है, बिक्री और व्यय को प्रोद्भवन के आधार पर बुक किया जाता है। अन्य मामलों में, जहां कारोबार का प्रबंध लाइसेंसधारकों के माध्यम से किया जाता है, वहां सफल बोलीदाता द्वारा उद्धृत की गई केवल कंसेशन फीस/लाइसेंस फीस/उपयोगकर्त्ता प्रभारों को लेखाकरण मानक (एएस.9) के अनुसार राजस्व के रूप में लिया जाता है।

25. खंडवार सूचना :

कॉरपोरेशन ने कारोबार खंड को प्रमुख खंड के रूप में व्यक्त किया है। खंड की पहचान प्रदान की गयी सेवाओं के स्वरूप, संगठन के ढाँचे और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली को ध्यान में रखते हुए की गई है।

कॉरपोरेशन के परिचालन मुख्य रूप से निम्नलिखित की व्यवस्था करने से संबंधित है :

- ट्रेन में (ऑन बोर्ड) केटरिंग सेवाएँ प्रदान करना तथा स्थिर यूनिटों, स्टेशन पर बिक्री, मेल, एक्सप्रेस ट्रेनों और फूड प्लाजाओं के लिए लाइसेंस देना।
- इंटरनेट के जरिये रेल टिकटों की बुकिंग।
- पैकेज टुअरों की व्यवस्था करना।
- रेलनीर पैक किए गए पीने के पानी का विनिर्माण एवं वितरण, और
- केटरिंग सर्विस का परिचालन। विभागीय केटरिंग के कार्यकलापों के अधीन कॉरपोरेशन द्वारा अधिकार में लिए गए रेलयात्री निवास और रेलवे होटल जबतक कि वे निजी लाइसेंसधारियों को सौंप नहीं दिए जाते। उसके बाद उन्हें पर्यटन से आय के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(क) कॉरपोरेशन मुख्य रूप से स्वदेशी बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए सूचित किए जाने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है।

(ख) खंड राजस्व में रेलनीर पैक किए गए पीने के पानी, विभागीय केटरिंग कार्यकलापों के माध्यम से खाद्य एवं पेय पदार्थ, इंटरनेट के माध्यम से रेल टिकटों की बिक्री और पर्यटन से आय शामिल हैं। इसमें राजधानी, शताब्दी, जन शताब्दी, मेल एक्सप्रेस, में लाइसेंस प्रदान करने के मामले में कन्सेशन फीस, लाइसेंस फीस और रेल परिसरों में फूड प्लाजाओं की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रदान करने के मामले में उपयोगकर्त्ता प्रभार और सेवा प्रभार भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों को अलग–अलग खंडों में राजस्व और व्यय को दर्ज करने के लिए सुसंगत रूप से लागू किया जाता हैं, जैसाकि प्रमुख लेखाकरण नीतियों की टिप्पणी में उल्लेख किया गया है।

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लिए खण्डवार सूचना (लाख रु. में)

	लाइसेंसधारक केटरिंग		रेलनीर		इंटरनेट टिकटिंग		पर्यटन		विभागीय केटरिंग		जोड़	
	2007-08	**2006-07**	**2007-08**	**2006-07**	**2007-08**	**2006-07**	**2007-08**	**2006-07**	**2007-08**	**2006-07**	**2007-08**	**2006-07**
राजस्व												
आय	26,409.31	22,318.73	2.85	0.81	4,355.25	2,602.53	908.24	1,136.48		407.59	31,675.65	26,466.14
बिक्री (उत्पाद शुल्क और बिक्रीकर छोड़कर)			1,099.69	802.75					14,342.80	15,617.76	15,442.49	16,420.51
अंतर–खंडवार बिक्री			1,110.39	1,146.81							1,110.39	1,146.81
बजट होटल							64.14				64.14	
बिक्री/आय (बेडरोल एवं सफाई)	2,926.27								1,597.36		4,523.63	-
कुल राजस्व	**29,335.58**	**22,318.73**	**1,102.54**	**803.56**	**4,355.25**	**2,602.53**	**972.38**	**1,136.48**	**15,940.16**	**16,025.35**	**51,705.91**	**42,886.65**
खंडवार परिणाम	**5,889.01**	**5,027.75**	**47.27**	**(29.69)**	**1,851.83**	**916.70**	**(323.82)**	**(126.68)**	**(3,310.76)**	**(1,915.99)**	4,153.53	3,872.09
अनाबंटित कॉरपोरेट आय	-	-	-	-	-	-						-
अनाबंटित कॉरपोरेट आय	-	-	-	-	-	-					1,875.23	1,367.99
परिचालन लाभ	**5,889.01**	**5,027.75**	**47.27**	**(29.69)**	**1,851.83**	**916.70**	**(323.82)**	**(126.68)**	**(3,310.76)**	**(1,915.99)**	**2,278.30**	**2,504.10**
ब्याज आय	-	-	-	-	-	-					1,060.48	524.69
आयकर (आस्थगित कर/एफबीटी शामिल है)	-	-	-	-	-	-					1,222.61	977.35
साधारण कार्य–कलापों से लाभ	**5,889.01**	**5,027.75**	**47.27**	**(29.69)**	**1,851.83**	**916.70**	**(323.82)**	**(126.68)**	**(3,310.76)**	**(1,915.99)**	**2,116.17**	**2,051.44**
पूर्व अवधि व्यय		9.05	-	-	-	-			28.69		28.69	9.05
बट्टे खाते डाले गए अथवा प्रावधान किए गए अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण	-	-	-	-	12.57	17.94	-	-			12.57	17.94
बेची गई परिसंपत्तियों पर हानि	-	1.80	-	-	-	-	-	-			-	1.80
पूर्व अवधि के लिए प्रदत्त आयकर	-	-	-	-							-	-
शुद्ध लाभ	**5,889.01**	**5,016.90**	**47.27**	**(29.69)**	**1,839.26**	**898.76**	**(323.82)**	**(126.68)**	**(3,339.45)**	**(1,915.99)**	**2,074.91**	**2,022.65**
अन्य सूचना												
खंडवार परिसंपत्तियाँ	17,921.75	14,389.33	1,845.04	2,085.97	5,552.23	5,165.89	350.20	287.79	860.76	891.28	26,529.99	22,820.26
अनाबंटित कॉरपोरेट परिसंपत्तियाँ	-	-									17,923.56	12,802.94
जोड़ परिसपत्तियाँ	**17,921.75**	**14,389.33**	**1,845.04**	**2,085.97**	**5,552.23**	**5,165.89**	**350.20**	**287.79**	**860.76**	**891.28**	**44,453.55**	**35,623.20**
खंडवार देयताएँ	31,606.21	24,999.40	348.13	292.26	1,046.08	484.79	295.00	259.98	1,344.13	1,532.05	34,639.55	27,568.48
अनाबंटित कॉरपोरेट देयताएँ	-	-									1,670.30	1,572.82
जोड़ देयताएँ	**31,606.21**	**24,999.40**	**348.13**	**292.26**	**1,046.08**	**484.79**	**295.00**	**259.98**	**1,344.13**	**1,532.05**	**36,309.85**	**29,141.30**
पूंजीगत खर्च	459.82	285.11	3.33	27.11	1,309.69	491.64	45.00	-	167.90	256.07	1,985.74	1,059.93
अनाबंटित कॉरपोरेट पूंजीगत खर्च											-	
जोड़ पूंजीगत खर्च											**1,985.74**	**1,059.93**
मूल्यह्रास	258.36	90.31	105.38	92.73	439.74	237.30	3.00	-	21.68	107.06	828.16	527.40
अनाबंटित कॉरपोरेट मूल्यह्रास												
जोड़ मूल्यह्रास											**828.16**	**527.40**

टिप्पणी : 1. विभागीय केटरिंग जिसमें यात्री निवास का कमरा किराया और रेलवे होटल शामिल हैं।

2. अंतर खण्डवार बिक्रियों को कुल राजस्व में नहीं लिया गया है।

खंड से संबंधित राजस्व तथा प्रत्यक्ष व्ययों को उन मदों के आधार पर आबंटित किया जाता है, जिनकी अलग–अलग रूप से खंड से संबंधित होने की पहचान की जा सकती है, जबकि लागतों के तकाजों को आबंटित न किए गए व्ययों के रूप में कोटिबद्ध किया जाता है। प्रबंधन का यह मानना है कि इन व्ययों का खंड प्रकटीकरण उपलब्ध करना व्यावहारिक नहीं है और तदनुसार इन व्ययों को अनाबंटित रूप में अलग से प्रकट किया जाता है तथा इन्हें केवल कॉरपोरेशन की कुल आय के लिए समायोजित किया जाता है। कुल राजस्व में इन अनाबंटित व्ययों की समग्र प्रतिशतता पर्याप्त नहीं है।

संविदागत परिसंपत्तियों और देयताओं को उनकी अपनी पहचान पर आधारित विभिन्न खंडों में आबंटित किया जाता है। कॉरपोरेट/जोनल/क्षेत्रीय कार्यालयों की अचल परिसंपत्तियों को उपयोग के आधार पर नियतन किया गया है और वे आस्तियाँ/देयताएं जिन्हें खंडवार सूचना में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, अनाबंटीय आस्तियों/देयता के रूप में दर्शाया गया है। कुल आस्तियों/देयताओं में इन अनाबंटीय आस्तियों/देयताओं की समग्र प्रतिशतता पर्याप्त नहीं है।

26. प्रतिशेयर आय

प्रति शेयर आय (मूल और कम की गई) के परिकलन के लिए माने गए घटक निम्नलिखितानुसार हैं :–

	2007–08	2006–07
गणक न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त शुद्ध लाभ (लाख रु. में)	2074.91	2022.65
हर (डिनोमिनेटर) के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या लाख में)	200	200
प्रतिशेयर आय–मूल (रु. में)	10.37	10.11
प्रतिशेयर आय–कम की गई (रु. में)	10.37	10.11
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (रु. में)	10.00	10.00

27. कॉरपोरेशन का निर्धारण वर्ष 2005–2006 तक आय कर निर्धारण पूरा हो गया है उससे संबंधित सभी समायोजन कॉरपोरेशन के बाही खाते में कर दिए गए है।

28. कॉरपोरेशन की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी रेल मंत्रालय द्वारा रखी जाती है।

29. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक था, पुनर्व्यवस्थित/पुनर्समूहित और दुबारा तैयार किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाया जा सके और बेहतर रूप से प्रस्तुत किया जा सके।

30. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दूसरे वेतन संशोधन आयोग और उनके मंहगाई भत्ता के विलयन के बकाया का प्रावधान :–

(लाख रु. में)

बकाया का विवरण	बकाया की अवधि	2007–2008	2006–2007
छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का बकाया	01 जनवरी, 2006 से 31 मार्च, 2008 तक	1727.50	शून्य
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दूसरे वेतन संशोधन आयोग का बकाया	01 जनवरी, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक	545.58	शून्य
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता विलयन का बकाया	01 जनवरी, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक	141.40	शून्य

31. बेड रोल और सफाई कारोबार को, जो वर्ष 2006–07 के दौरान आईआरसीटीसी को सौंपा गया था, रेल मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.08.2007 के पत्र सं. 2006/टीजी III/645/4 के पत्र के अनुसार वापस ले लिया गया है। संपूर्ण आय और व्यय को प्रोद्भवन के आधार पर बुक किया गया है।

32. वर्ष के दौरान, कॉरपोरेशन ने ई–0 से प्रारंभ होने वाले ग्रेड से ई–7 ग्रेड तक अधिकारियों की विभिन्न श्रेणी के लिए सॉफ्ट फर्निशिंग पॉलिसी प्रारंभ की और 278.46 लाख रु. अग्रिम मंजूर किया, जिसे ऋण व अग्रिम के शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। मूल वेतन की 2.5 प्रतिशत की दर से कर्मचारियों से वसूलियों को उक्त खाते में जमा किया गया है। सॉफ्ट फर्निशिंग पॉलिसी के अधीन खरीदी गई वस्तुओं को कर्मचारियों के लिए बाद में खरीदना अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। जिस अवधि में बाद में खरीदने की प्रक्रिया होती है, उस अवधि में अग्रिम रकम में कमी और बाद की खरीद की रकम को कर्मचारी कल्याण व्यय के रूप में माना जाएगा।

33. (i) वर्ष 2005–2006 के लिए पश्चिम बंगाल बिक्रीकर प्राधिकरण के पास अधिक बिक्रीकर के रूप में 19.40 लाख रु. की राशि जमा की गई थी। बिक्रीकर प्राधिकरण से उसकी वापसी अभी तक नहीं हुई है।

(ii) वर्ष 2002–03 के लिए दिल्ली बिक्रीकर प्राधिकरण के पास अधिक कार्य ठेकाकर के रूप में 4.03 लाख रु. की राशि जमा की गई थी। दिल्ली बिक्रीकर प्राधिकरण से उस राशि की वापसी अभी तक नहीं हुई है।

34. I से XXVI अनुसूचियाँ तुलनपत्र और लाभ व हानि लेखा का अभिन्न भाग बनती हैं।

कृते एस.पी. मारवाह एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

(ह./–)	(ह./–)	(ह./–)	(ह./–)	(ह./–)
एम.एल. जोतवानी	**नलिन सिंघल**	**विनोद अस्थाना**	**एम.पी. मल्ल**	**राकेश गोगिया**
पार्टनर	**प्रबंध निदेशक**	**निदेशक (खा.से.)**	**स.महा.प्र. (वित्त)**	**कंपनी सचिव**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 अगस्त, 2008

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण

(राशि रुपए में)

	2007-08		2006-07	
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह (कैश फ्लो)				
कर पूर्व शुद्ध लाभ और असाधारण मदें	332,621,216.43		300,000,000.00	
समायोजन				
मूल्यह्रास	82,815,904.29		53,243,400.42	
बेची गई परिसपत्ति पर हानि	-		180,000.66	
बट्टे खाते डाले गए विविध व्यय	-		939,880.00	
बेची गई परिसंपत्तियों पर लाभ	-		-	
ब्याज आय	(106,050,077.92)		(52,471,368.70)	
समायोजनों का जोड़	(23,234,173.63)		1,891,912.38	
चालू पूंजीगत परिवर्तनों से पहले परिचालन लाभ	309,387,042.80		301,891,912.38	
चालू पूंजीगत परिवर्तन				
वस्तु–सूचियों में कमी/(वृद्धि)	2,397,568.16		12,302,884.11	
ट्रेड एवं अन्य प्राप्य	(591,496,209.14)		(623,673,628.05)	
ट्रेड देय एवं प्रावधान	588,885,035.62		709,741,771.50	
परिचालन से अर्जित कैश	309,173,437.44		400,262,939.94	
पूर्व अवधि समायोजन	(2,869,115.00)		4,829,630.26	
विविध व्यय (आस्थगित राजस्व)	-		-	
पिछले वर्ष का आयकर	-		-	
प्रत्यक्ष कर प्रदत्त	(189,476,675.81)		(129,028,261.49)	
परिचालन कार्यकलापों से शुद्ध कैश		116,827,646.63		276,064,308.71
ख. निवेश वाले कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(190,928,065.12)		(116,828,816.28)	
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	-		181,532.00	
प्राप्त ब्याज	47,237,210.65		81,059,175.10	
निवेश वाले कार्यकलापों से प्रयुक्त शुद्ध नकदी		(143,690,854.47)		(35,588,109.18)
ग. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह (कैश फ्लो)				
लाभांश प्रदत्त (लाभांश पर कर सहित)	(35,098,500.00)		(45,610,000.00)	
वित्तपोषण कार्यकलापों से शुद्ध कैश फ्लो		(35,098,500.00)		(45,610,000.00)
कैश और कैश तुल्यों में शुद्ध परिवर्तन (क+ख+ग)		(61,961,707.84)		194,866,199.53
कैश और कैश तुल्यों का प्रारंभिक शेष		1,229,694,150.37		1,034,827,950.84
कैश और कैश तुल्यों का अंतशेष		1,167,732,442.53		1,229,694,150.37

कृते एस.पी. मारवाह एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

(ह./–)
एम.एल. जोतवानी
पार्टनर

(ह./–)
नलिन सिंघल
प्रबंध निदेशक

(ह./–)
विनोद अस्थाना
निदेशक (खा.से.)

(ह./–)
एम.पी. मल्ल
स.महा.प्र. (वित्त)

(ह./–)
राकेश गोगिया
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 अगस्त, 2008

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

तुलन–पत्र सार और कंपनी के कारोबार की रूपरेखा

कारोबार की रूपरेखा

I पंजीकरण ब्यौरा

पंजीकरण संख्या	: 101707	राज्य कोड	:	55
तुलन–पत्र की तारीख	: 31/3/2008			

II वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (राशि हजार रु. में)

पब्लिक इश्यू	**राइट इश्यू**
शून्य	शून्य
बोनस इश्यू	**निजी नियोजन**
शून्य	शून्य

III निधियों के जुटाने और नियोजन की स्थिति (राशि हजार रु. में)

कुल देयता	**कुल परिसंपत्तियाँ**
4,445,375	4,445,375

i) निधियों का स्रोत (राशि हजार रु. में)

प्रदत्त पूंजी	आरक्षित निधि और अधिशेष	आस्थगित देयता
200,000	588,493	25,897
शेयर उपयोग		
शून्य		
प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	
शून्य	शून्य	

ii) निधियों का उपयोग (राशि हजार रु. में)

शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ	निवेश	शुद्ध चालू परिसंपत्तियाँ
369,994	20	435,317
विविध व्यय	संचयी घाटा	पूंजीगत चालू कार्य
शून्य	शून्य	9,058

IV कंपनी का कार्य–निष्पादन (राशि हजार रु. में)

अन्य आय सहित कुल कारोबार (टर्नओवर)	कुल व्यय
5,276,639	4,944,017
कर पूर्व लाभ / हानि	करोपरांत लाभ / हानि
332,621	207,491
प्रति शेयर आय	लाभांश दर (करोपरांत शुद्ध लाभ का %)
10.37	20.00%

V. कंपनी के तीन मुख्य उत्पादों के नाम

मद कोड सं.	लाइसेंसधारक केटरिंग
सेवाएं	इंटरनेट टिकटिंग
	रेल नीर
	पर्यटन
	विभागीय खानपान कारोबार

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

(ह./–)	(ह./–)	(ह./–)	(ह./–)
नलिन सिंघल	**विनोद अस्थाना**	**एम.पी. मल्ल**	**राकेश गोगिया**
प्रबंध निदेशक	**निदेशक (खा.से.)**	**स.महा.प्र. (वित्त)**	**कंपनी सचिव**

सत्यमेव जयते

गोपनीय

सं./ No.स.ले.प.III/ प्रति/ अकाउंटस/3-1/2007-08/781

कार्यालय
प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली

OFFICE OF THE
PRINICIPAL DIRECTORS OF COMMERCIAL AUDIT
& EX-OFFICO MEMBER, AUDIT BOARD-III
NEW DELHI

दिनांक /Date

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
नई दिल्ली

विषय : **कंपनी अधिनियम की धारा 619(4) के अधीन इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।**

महोदय,

मैं इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 की समाप्ति हेतु कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित करती हूँ।

2. कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्न यथोपरि

भवदीया

गज़ाला मीनाई

(गजाला मीनाई)
प्रधान निदेशक

'ए' ब्लॉक हटमेंट्स, निकट साउथ ब्लॉक नई दिल्ली - 110 011
'A' BLOCK HUTMENTS, NEAR SOUTH BLOCK, NEW DELHI-110001
Tel.: 23017027 Fax: 23017342 e-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट प्रारूप के अनुसार 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेवारी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षण और आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेवार है। यह बताया गया है कि उन्होंने अपनी दिनांक 20 अगस्त, 2008 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अपनी यह जिम्मेवारी पूरी की है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों की, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अंतर्गत पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के दस्तावेजों के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्रारंम्भिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर, ऐसी कोई महत्वपूर्ण विषमता मेरी जानकारी में नहीं आई है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अथवा अनुपूरक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी दी जाती।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से।

Ghazala Meenai

(गजाला मीनाई)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य,
लेखापरीक्षा बोर्ड–III, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 सितम्बर, 2008

जिंजर रेल यात्री निवास, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (अजमेरी गेट की तरफ) का दृश्य
A view of renovated Ginger Rail Yatri Niwas at New Delhi Railway Station (Ajmeri Gate Side)

रेलवे बोर्ड अध्यक्ष श्री के.सी. जेना ने 14.07.2008 को नवीकृत जिंजर रेलयात्री निवास का उद्घाटन किया। आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक, डॉ. नलिन सिंघल तथा रूट्स कॉरपोरेशन लि. के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं निदेशक भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

Shri K.C. Jena, Chairman, Railway Board, launching the renovated Ginger Rail Yatri Niwas on 14.07.2008. Also seen in the picture are Dr. Nalin Shinghal, MD/IRCTC and Shri Prabhat Pani, Chief Executive Officer & Director, Roots Corporation Limited.

माननीय विदेश मंत्री डॉ. प्रणव मुखर्जी से राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्राप्त करते हुए आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. नलिन सिंघल। इस अवसर पर माननीया पर्यटन मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी भी उपस्थित थीं।

Dr. Nalin Shinghal, MD/IRCTC receiving National Tourism Award from Dr. Pranab Mukherjee, Hon'ble Minister of External Affairs in presence of Hon'ble Minister of Tourism Smt. Ambika Soni.

आईआरसीटीसी फूड प्लाजा

IRCTC Food Plaza

माननीय रेल मंत्री को रेल मंत्री कल्याण व राहत निधि के लिए 2 करोड़ रु. का चैक प्रस्तुत करते हुए आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक, डॉ. नलिन सिंघल। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के सदस्य यातायात श्री वी.एन. माथुर और आईआरसीटीसी के निदेशक, खानपान सेवाएं श्री विनोद अस्थाना भी उपस्थित थे।

Presentation of Cheque of Rs. 2 crore by Dr. Nalin Shinghal, MD/IRCTC to Hon'ble Minister for Railways for the Railway Minister's Welfare & Relief Fund. Also seen in the picture are Shri V.N. Mathur, Member Traffic, Railway Board & Shri Vinod Asthana, Director/CS/IRCTC.

आईआरसीटीसी एवं आईआईटी के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में, आईआरसीटीसी के निदेशक, खानपान सेवाएं श्री विनोद अस्थाना एवं आईआईटी, नई दिल्ली के डीन ऑफ स्टुडेंट्स श्री अनुराग शर्मा आईआईटी, नई दिल्ली में फूड कोर्ट आरंभ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए।

Shri Vinod Asthana, Director (CS)/IRCTC and Shri Anurag Sharma, Dean of Students, IIT, New Delhi Signing an MOU for opening of Food Court at IIT, New Delhi in presence of senior officials from IRCTC & IIT

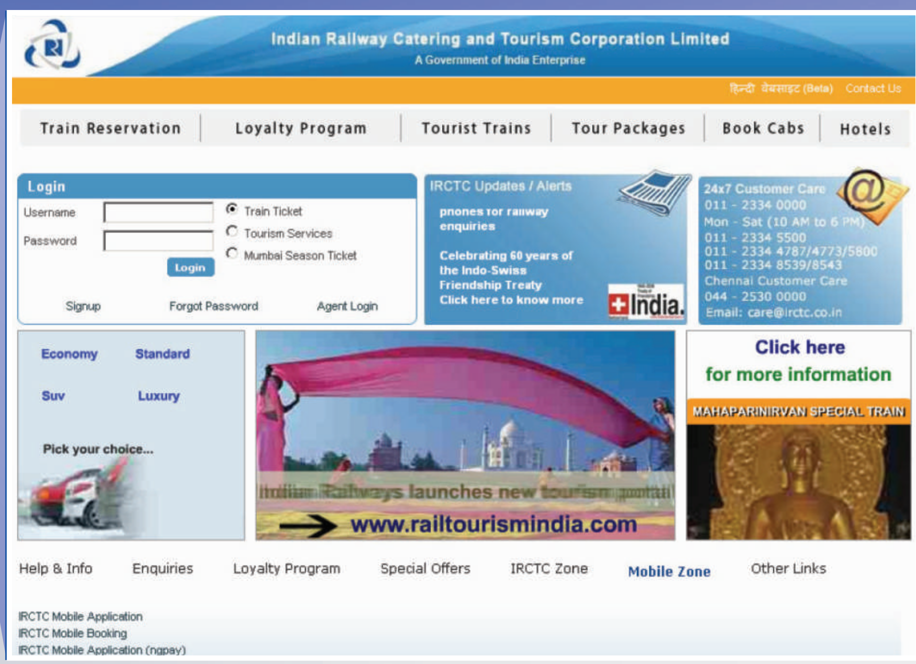

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम–मिनी रत्न)

Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd.

(A Govt. of India Enterprise–Mini Ratna)

Designed & Printed by :
Vijayalakshmi Printing Works Pvt. Ltd., *E-mail: vpwpl@yahoo.com Mob.: 9899452227*